केवल शासकीय उपयोग हेतू

पंचायत निर्वाचन

के लिये

मतदाता सूचि तैयार करने के सम्बन्ध

निर्देश पुस्तिका

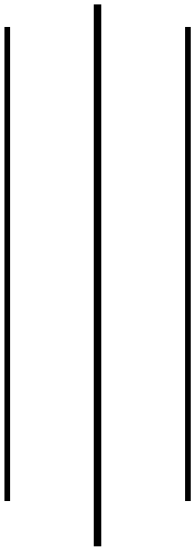

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग
पंचकुला ।

प्राकथन

मतदाता सूचि किसी भी निर्वाचन का आधार होती है । अतः मतदाता सूचि जितनी सही और दोषरहित होगी चुनाव उतने ही अच्छे और शान्तिपूर्ण ढंग से संम्पन्न होंगें। इसलिये यह अति आवश्यक है कि मतदाता सूचि में उन सब लोगों के नाम शामिल हो जिन्हें कानून के अन्तर्गत मत देने का अधिकार प्राप्त है और ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूचि में सम्मिलित न किया जाये जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है ।

2. जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाताओ का रजिस्ट्रीकरण तथा मतदाता सूचियां तैयार करने से सम्बन्धित उनके महत्वपूर्ण दायित्वों की जानकारी देने के उदेश्य से राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा ने कमांक 182/एस.ई.सी./94, दिनांक 30–9–1994 द्वारा निर्देश जारी किये थे। इसके पश्चात पचायतों की चुनाव विधि में कई महत्वपूर्ण संशोधन हुये हैं। अतएव यह आवश्यक हो गया है कि इन्ह संशोधनों और पिछले अनुभवों को ध्यान में रखकर पुस्तक का नया संस्करण निकाला जाये ।

3. इस बात का प्रयास किया गया है कि इन निर्देशो में वे सभी आवश्यक बातें सम्मिलित हों जिनका सम्बन्ध मतदाता सूचि तैयार करने के कार्य में लगे विभिन्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों से है, फिर भी इन निर्देशों को सर्वेसर्वा नहीं समझा जाना चाहिए तथा सम्बन्धित निर्वाचन अधिनियम तथा नियमों को भी साथ में देख लिया जाना चाहिए।

4. आशा है कि मतदाता सूचियां तैयार करने के कार्य सम्बन्ध अधिकारी और कर्मचारी इन निर्देशों का सावधानी से पालन करेगें, ताकि पंचायतों के निर्वाचन के लिये सही और दोष रहित मतदाता सूचियां तैयार हो सके ।

धर्मवीर
राज्य निर्वाचन आयुक्त,हरियाणा

विषय सूचि

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1.	मतदाता सूचि तैयार करने के लिये प्रशासनिक तन्त्र तथा कानूनी प्रावधान	1-3
2.	मतदाता के लिये योग्यता और अयोग्यता	4
3.	मतदाता सूचि तैयार करना एवं प्रारम्भिक प्रकाशन	5-8
4.	दावें तथा आपतियां प्राप्त करना	9-12
5.	दावे और आपतियों की जांच और उनका निपटारा	13-16
6.	अंतिम मतदाता सूचि तैयार करना और उसका प्रकाशन	17-19
7.	अतिमं रूप से प्रकाशित मतदाता सूचि का निरीक्षण एवं विकी	20
8.	मतदाता सूची तथा सम्बन्धित दस्तावेजों की अभिरक्षा तथा परिरक्षण	21
9.	पंचायत उप–चुनावों के लिये मतदाता सूचि तैयार करना	22-23
परिशिष्ट	विषय	
एक	मतदाता सूचि तैयार करने से सम्बन्धित हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों का उद्धरण	24
	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अन्तर्गत निर्वाचक नामवाली तैयार करने से सम्बन्धित धारा 16 से 20 का उद्धरण ।	25-26
दो	मतदाता सूचि तैयार करने से सम्बन्धित हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 उद्धरण	27-31
तीन	NOTIFICATION	32-33
चार	आधार पत्रक	34
पांच	मतदाता सूचि	35-38
छः	ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों के प्रारभिंक प्रकाशन की सूचना नियम 9 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विदित प्ररूप	39
सात	प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप	40-41
आठ	जिला निर्वाचक अधिकारी की सहायता के लिये अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप	42-43
नो	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन	44-46
दस	मतदाता सूची में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हटाये जाने हेतु आवेदन	47-49
ग्यारह	मतदाता सूची में प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन	50-52
बारह	मतदाता सूची में प्रविष्टि को स्थानान्तर के लिए आवेदन	53-55
तेरह	दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण	56-57
चौदह	पंजीकरण करने हेतु दावों का रजिस्टर	58
पन्द्रह	पंजीकरण के लिए आपत्ति रजिस्टर	59
सोलह	निरीक्षण लॉग बुक/रजिस्टर	60
सत्रह	मतदाता सूचि से नाम हटाये जाने के लिए आक्षेपित व्यक्ति को दी जाने वाली सूचना	61-62
अठारह	मतदाता सूचि के अतिंम प्रकाशन की सूचना	63

अध्याय -1

मतदाता सूचि तैयार करने के लिये प्रशासनिक तन्त्र तथा कानूनी प्रावधान

1. त्रि–स्तरीय पंचायतों (अर्थात् ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद्) के निर्वाचन के लिये मतदाता सूचि तैयार कराने और निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण का दायित्व संविधान के अनुच्छेद "243–ट" के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। ठीक ऐसा ही प्रावधान हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 212 में भी है ।

2. पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के लिये मतदाता सूचियां, उनके निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों से मिलकर बनाई जाती है। अतः जितनी अच्छी ग्राम पंचायत की वार्डवार सूची होगी, उतनी ही अच्छी मतदाता सूची पंचायत समिति तथा जिला परिषद की बनेगी । इसलिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायत की वार्डवार मतदाता सूची बनाते समय विशेष ध्यान रखा जाए ।

3. पंचायती राज संस्थाओं की वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने तथा संशोधन का सम्पूर्ण कार्य, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के निर्देशन, नियंत्रण एवं मार्गदर्शण अनुसार ही सम्पन्न होगा ।

4. पंचायती राज संस्थाओं की वार्डवार मतदाता सूची, विधानसभा की निर्वाचन नामावली के आधार पर तैयार की जाएगी ।

5. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने का कार्यकम जारी होने के साथ ही राज्य के सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राजनैतिक दलों के साथ बैठक करेंगे और उन्हें मतदाता सूची तैयार करने के कार्यकम बारे पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएंगे ।

*6. **प्रशासनिक तन्त्र***

i) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के, नियम 2 (घ) के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिये राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के कार्यों के संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नियुक्त किया हुआ है ।*

ii) *आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार मतदाता सूचियां तैयार करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) का होता है। उनके नियन्त्रण और निर्देशन के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की सूचियां तैयार करने, उन्हें प्रकाशित करने, उनके सम्बन्ध में दावे और आपतियां प्राप्त करने और उनका निपटारा करके सूचियों को अन्तिम रूप देने का कार्य हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 2 (ङ.) अनुसार जिला निर्वाचक अधिकारी* (District Electoiral Officer) *द्वारा किया जाता है।*

iii) *यदि कोई व्यक्ति जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों से असंतुष्ट हो, तो वह उनके द्वारा पारित आदेशों की तिथि के पांच दिनों के अन्दर, उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अपील कर सकता है। उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), सात दिन के भीतर ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकता है या रद्द कर सकता है या दावे तथा आपत्ति के सम्बन्ध में ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उचित समझे।*

iv) *जिला निर्वाचक (इलैक्ट्रोल) अधिकारी की नियुक्ति हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 2 (ड.) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में यह शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोग की अधिसूचना कमांक एस0ई0सी0/2ई–।।।/2004/ 14088–14128 दिनांक 09/12/2004 के तहत उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रदत की गई हैं, जो कि जिला निर्वाचक अधिकारी के पद पर किसी एच0सी0एस0 अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) व जिला मुख्यालय के अन्य किसी अधिकारी जिसके पास कलैक्टर/मैजिस्ट्रेट की शक्तियां हों, को नियुक्त कर सकता है । जिला निर्वाचक अधिकारी की सहायता के लिए सभी खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारियों को उनके सम्बन्धित कार्य क्षेत्रों के लिए उप जिला निर्वाचक (इलैक्ट्रोरल) अधिकारी नियुक्त किया गया है।*

7. *जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), खण्ड स्तर पर नियुक्त जिला निर्वाचक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश तथा मार्गदर्शन देने तथा उनके कार्य की निगरानी एवं प्रगति की समीक्षा करने के लिये पूर्ण रूप से सक्षम है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के प्रमुख कर्तव्य निम्नाकिंत हैं:–*

i) *प्रत्येक खण्ड या उसके अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार करने के लिये कर्मचरियों की नियुक्ति करना और उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना और उनके कार्य का निरीक्षण करना।*

ii) *मतदाता सूचियों का आम नागरिकों द्वारा निरीक्षण करने तथा दावे और आपतियों के फार्म उपलब्ध करवाने व प्राप्त करने के लिये मतदाता सूचना एंव संग्रहण केन्द्र (VICC) स्थापित करना और वहां पर आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था सुनिश्चित करना।*

iii) *निर्धारित मतदाता सूचना एंव संग्रहण केन्द्रों (VICC) पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों के चयन और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें आवश्यक फार्म, कागजात तथा अन्य सामग्री (जैसे कि कम्प्यूटर, मतदाता सूची का डाटा बेस, इन्टरनैट कनैक्शन/डाटा कार्ड, वार्डबन्दी के आदेशों की कापी, रजिस्टर, स्टैम्प पैड, फर्नीचर इत्यादी उपलब्ध कराना)।*

iv) *मतदाता सूचियों के प्रारभिंक प्रकाशन के लिये आवश्यक प्रचार–प्रसार करना, जैसे कि लोकल चैनल पर समाचार देना, समाचार पत्रों में इश्तहार देना, गांव में मुनायादी करवाना, ग्राम के मुख्य स्थानों व निर्धारित मतदाता सूचना एंव संग्रहण केन्द्र पर बैनर लगवाना आदि।*

v) *दावों तथा आपतियों के निपटान उपरान्त अतिंम रूप से तैयार की गई मतदाता सूचियों की छपाई की व्यवस्था करना तथा छपाई उपरान्त उनका अन्तिम प्रकाशन करना।*

vi) *अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियां, सभी कागज पत्रों सहित (जिनमें प्रारंभिक मतदाता सूचि, प्राप्त दावों और आपतियों से सम्बन्धित प्रकरण और उनमें पारित आदेश तथा उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रस्तुत अपीलें व उन पर पारित आदेश आदि सम्मिलित हैं) जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत) में प्राप्त करना और उन्हें सुरक्षित रखना।*

vii) *प्रारम्भिक तथा अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों की दो प्रतियां तथा इसकी सी. डी. (Compect Disc) सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को निःशुल्क प्रदान करने की व्यवस्था*

करना। यदि उक्त दलों द्वारा दो से अधिक मतदाता सूचियों की मांग की जाती है, तो उस स्थिति में अतिरिक्त प्रतियां पांच रूपये प्रति पन्ना के हिसाब से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना।

viii) *जिला निर्वाचक अधिकारी एंव उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मतदाता सूची की प्रति जो कि उनके कार्यालय में रखी जाती है, का अगर कोई व्यक्ति निरीक्षण करना चाहता है तो उसे दो रूपये फीस देनी होगी । अगर वह मतदाता सूची या उसके किसी अशं की प्रमाणित प्रति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे पांच रूपये प्रति पन्ना के हिसाब से मतदाता सूची प्रदान करने की व्यवस्था करना।*

ix) *अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की एक हस्ताक्षरित प्रति (जो कि जिला निर्वाचक अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो), प्रकाशन की तिथि को ही जिला खजाना कार्यालय* (District Treasury Office) *में जमा करवाये जाने की व्यवस्था करना।*

x) *प्रारूप एवं अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची को तुरंत प्रभाव से जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करना।*

8 कानूनी प्रावधान

i) ***अधिनियम***– *हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत सभी मतदाताओं की योग्यता या अयोग्यता तथा मतदाता सूचि (निर्वाचक नामावली) में नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में जो प्रावधान है, उनका लेख* ***परिशिष्ट–एक*** *पर है।*

ii) ***नियम***– *हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,1994 के अन्तर्गत ही हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 बनाए गए हैं। इन नियमों में मतदाता सूचि तैयार करने से सम्बन्धित प्रावधान* ***परिशिष्ट–दो*** *पर उल्लिखित है।*

iii) *नियम 8 के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत,पंचायत समिति और जिला परिषद के मतदाताओं के लिए मतदाता सूची वार्डवाईज तैयार की जानी है ।*

iv) *हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 166 (6) के अन्तर्गत अर्हता तिथि* (qualifying date), *लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 14 (ख) अनुसार होगी। अर्थात, उस वर्ष की पहली जनवरी होगी जिस वर्ष में मतदाता सूची को तैयार किया जानी है।*

9. विनिर्दिष्ट अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जिस अधिसूचना के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को जिला निर्वाचक अधिकारी नियुक्त करने कि शक्तियां प्रदत की गई है, उसका विवरण ***परिशिष्ट–तीन*** *पर है।*

अध्याय–2

मतदाता के लिये योग्यता और अयोग्यता

1. ***मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये योग्यता*** *– हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 165 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा की निर्वाचक नामावलियों के सुसंगत भाग में मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का हकदार है वह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के निर्वाचन खण्ड के लिए तैयार की जाने वाली मतदाता सूची में भी एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का हकदार होगा । अतः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का वही व्यक्ति हकदार होगा यदि वह–*

(□) *निर्धारित तारीख को (अर्थात् उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन) जिस वर्ष मतदाता सूचि तैयार की जा रही है, 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है,*

(□) *उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र का सामान्य तौर पर निवासी है, और*

(□) *विधानसभा की निर्वाचक नामावली* (Electoral Rolls of the Assembly) *में (जो कि उक्त ग्राम पंचायत से सम्बन्धित हो) नाम दर्ज किये जाने के लिये योग्य है।*

2. ***कोई भी व्यक्ति मतदाता सूचि में नाम दर्ज किये जाने के लिये अयोग्य होगा यदि वह–***

(□) *भारत का नागरिक नहीं है, या*

(□) *विकृतचित* (unsound mind) *है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है, या*

(□) *प्रोटैकशन आफ सिविल राईटस एक्ट 1955 (कमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष–सिद्धि के समय से पांच वर्ष की समय अवधि या ऐसी कम समय अवधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में निश्चित करे, नहीं बीत गई हो, या*

(□) *निर्वाचन के सम्बन्ध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मतदान करने के लिये उस समय अयोग्य है, या*

(□) *जो चुनाव के सम्बन्ध में, भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों से सम्बन्धित किसी कानून के अन्तर्गत मतदान के लिये अयोग्य है।*

3. किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो कि नाम दर्ज कर लिये जाने के पश्चात् अयोग्य हो जाता है, उस मतदाता सूचि में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जायेगा। परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि अयोग्यता के कारण मतदाता सूचि में से काटा गया है, उस सूचि में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जायेगा जब ऐसी अयोग्यता समाप्त हो जाये या विधिवत् हटा दी गई हो ।

अध्याय–3

मतदाता सूचि तैयार करना एवं प्रारम्भिक प्रकाशन

1. ***पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनावों के लिये मतदाता सूचि तैयार करना***– *हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 166 के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुसार, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद् के आम चुनावों के लिये मतदाता सूचि, विधान सभा की उस समय प्रचलित निर्वाचक नामावली* (Electoral Roll) *के आधार पर निम्नानुसार तैयार की जायेगी–*

i) *जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा जिले के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की, प्रचलित निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां जिला कार्यालय की निर्वाचन शाखा से प्राप्त की जाये। इसके अतितरिक्त विधानसभा की मतदाता सूचि का डाटाबेस आपको एन0आई0सी0* (NIC) *के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जायेगा।*

ii) *प्राप्त डाटाबेस को खण्डवार* (Blockwise) *भागों में बांटा जाये। तत्पश्चात् प्रत्येक खण्ड से सम्बन्धित भाग को उससे सम्बन्धित खण्ड स्तर पर नियुक्त जिला निर्वाचक अधिकारी को उपलब्ध कराया जाये।*

iii) *मतदाता सूची की खण्डवार प्रतियां तैयार करते समय इस बात की सावधानी से जांच की जाये कि वे पूर्ण और सम्बन्धित स्थान से है और उनके साथ संलग्न अनुपूरक सूचियां भी लगी है। यंहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिला निर्वाचक अधिकारी अपने क्षेत्र के केवल दावें तथा आपत्तियां ही नही सुनेगा बल्कि प्रारम्भिक/अन्तिम मतदाता सूची तैयार करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।*

2. *प्राप्त निर्वाचक नामावली के आधार पर जिला निर्वाचक अधिकारियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की वार्डवार मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जाये। इस कार्य में जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी की सहायता ले ली जाये। सामान्तया प्रत्येक जिला निर्वाचक अधिकारी को एक पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित कार्य का दायित्व सौपां गया है, परन्तु जिला निर्वाचक अधिकारी के रिक्त पद होने पर उस खण्ड की मतदाता सूची बनवाने का कार्य, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति कर सौंपा जा सकता है या खण्ड विकास अधिकारी को सौंपा जा सकता है। यह कार्य खण्ड कार्यालय में निम्नानुसार सम्पन्न किया जाये–*

i) *सर्वप्रथम विधानसभा की निर्वाचक नामावली में प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को चिन्हित किया जाये और फिर प्रत्येक ग्राम में सम्मिलित मकानों की लोकेशन के अनुसार उनके समक्ष, हाथ से उस वार्ड का नम्बर लिखा जाये जिसके अन्तर्गत वे मकान आते हैं ।*

ii) *तत्पश्चात् प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये, उसके विभिन्न वार्डों के अन्तर्गत आने वाले मकानों और मतदाताओं की संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला एक "आधार–पत्रक"* ***परिशिष्ट–चार*** *के अनुसार तैयार किया जाये।*

iii) *उपरोक्तानुसार तैयार किये गये आधार–पत्रक का मौके पर, वार्डों की अधिसूचित सीमाओं के साथ मिलान किया जाये, ऐसा करना इसलिये आवश्यक है ताकि किसी वार्ड की अधिसूचित सीमा के अन्दर स्थित कोई भी मकान/आवास स्थान उस वार्ड की मतदाता सूचि में सम्मिलित होने से रह न जाये और न ही उसमें ऐसा कोई मकान/आवास स्थान सम्मिलित होने पाये जो*

वस्तुतः उस वार्ड की अधिसूचित सीमा के अन्तर्गत न होकर, उसके बाहर (अर्थात् किसी अन्य वार्ड में) स्थित है मिलान का यह कार्य जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित हल्का पटवारी और ग्राम पंचायत के सचिव की संयुक्त टीम से कराया जाये, मिलान में कोई गलती मिलने पर जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा वार्ड की मतदाता सूचि को तदनुसार सुधार लिया जाये।

iv) *प्रत्येक जिला निर्वाचक अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लेवें कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज सभी नामों को पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उक्त मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम एक ही वार्ड में दो बार अथवा अन्य किसी वार्ड में दर्ज तो नही है।*

v) *विधानसभा की निर्वाचक नामावली से प्रारूप मतदाता सूची तैयार करते समय अगर यह पाया जाता है कि इसमें किसी मतदाता का पता अंकित नहीं है यानि* zero address *है, तो ऐसी स्थिति में जिला निर्वाचक अधिकारी का यह कर्तव्य बनता है कि वह इस तथ्या की भौतिक जांच करे और जांच के उपरांत अगर आवश्यक हो तो फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा लें ।*

vi) *डुपलिकेट मतदाताओं को पता लगाने के लिए एन. आई. सी.* (NIC) *द्वारा तैयार* de-duplicate *सोफटवेयर* (software) *की सहायता ली जाए तथा डुपलिकेट मतदाता पाए जाने की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही कर एसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा लिये जाएं ।*

3. ***मतदाता सूचि की कम्प्यूटर से प्रति तैयार करना***– *आधार पत्रक की जांच पड़ताल हो जाने पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि की कम्प्यूटराईजड़ प्रति तैयार करने के कार्य के लिये जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पचांयत अधिकारी सहित विभिन्न शासकीय कार्यालयों से कुछ चुने हुये कर्मचारियो को पूर्व निर्धारित तारीख को अपने कार्यालय या खण्ड मुख्यालय में एक साथ बुलाया जाये। इस कार्य हेतू उन्हीं कर्मचारियों का चयन किया जाये जिनको कम्प्यूटर का ज्ञान हो। चयनित प्रत्येक कर्मचारी को 5 से 10 ग्राम पंचायतों की कम्प्यूटर प्रति तैयार करने का कार्य सौपां जाये, यह कार्य जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा अपनी स्वंय की देखरेख में सम्पन्न कराया जाये।*

नोट– *मतदाता सूची एन0आई0सी0* (NIC)*की सहायता से तैयार की जानी है। अतः जिला निर्वाचक अधिकारी मतदाता सूची तैयार करने के लिए चयनित कर्मचारियों को पहले एन0आई0सी0 से प्रशिक्षण दिलवायें ।*

4. *कम्प्यूटर द्वारा मतदाता सूची तैयार करने का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विधान सभा की निर्वाचक नामावली के सम्बन्धित भाग अनुक्रमांक के साथ संलग्न अनुपूरक सूचि में दर्ज परिवर्धन (अर्थात् जोड़े हुये अतिरिक्त नाम), संशोधन (अर्थात् प्रविष्टियों में की गई त्रुटियों का सुधार) तथा विलोपन (अर्थात् नामावली में से विलोपित नाम) मूल सूचि में एकीकृत कर दिये जाएं। दूसरे शब्दो में, अनुपूरक सूचि* (supplimentary list) *में जो भी परिवर्धन दर्ज हो उन्हें मूल मतदाता सूची में सही स्थान पर अर्थात् सम्बन्धित मकान नम्बर के पास दर्ज किया जाए। इसी प्रकार निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों (अर्थात् मकान नम्बर नाम पिता/पति का नाम तथा आयु) में त्रुटियों के सुधार से सम्बन्धित जो संशोधन हुये हो, उन्हें भी मूल मतदाता सूची में यथास्थान सुधार दिया जाये। ठीक इसी प्रकार, जो नाम मृत्यु या ग्राम छोडकर चले जाने से या पात्रता न रहने के कारण अनुपूरक सूचि मे विलोपन शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज हो, वे यदि मूल नामावली में से न कटे हुये हो तो उन्हें काट दिया जाये तदपुरान्त नामावली के सम्बन्धित*

भाग अनुकमांक में सम्मिलित मतदाताओं के सरल कमांक (सिरियल नम्बर)सिलसिलेवार 01 से अन्त तक नये सिरे से लिख दिए जांए।

*5. उपरोक्त कार्यवाही सम्पन्न हो जाने के पश्चात आधार पत्रक **परिशिष्ट–चार** के आधार पर ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि को वार्डवार **परिशिष्ट–पांच** अनुसार तैयार किया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितने मतदाता विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज थे उन सभी को ग्राम पंचायत के वार्डों में बांट दिया गया है।*

6. मतदाता सूचि में ग्राम पंचायत के वार्ड एक के बाद एक, कमानुसार रखे जाये परन्तु सूचि में मतदाताओं के कमांक (सिरियल नम्बर) सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिये कमांक 01 से प्रारम्भ कर अन्त तक सिलसिलेवार लिखे जांए।

7. ग्राम पंचायत की मतदाता सूची पर परिशिष्ट पांच में दिये गये नमूने के अनुसार, सार विवरण दर्ज किया जाये। तत्पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत की, वरिष्ठ स्तर के कुछ अन्य अधिकारियों से भी जांच कराई जाये और यदि जांच में कोई त्रुटि पाई जाये तो उन्हें सुधार दिया जाये।

*8. **कम्पयूटर से तैयार मतदाता सूची की नमूना जांच***

i) *जिस जिला निर्वाचक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें आती है वह उन ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों की नमूना* (sample) *जांच कर ले। अगर नमूना जांच में अधिक कमियां पाई आती हैं तो उस स्थिति में जिला निर्वाचक अधिकारी किसी विश्वसनीय अधिकारी/कर्मचारी को अपने साथ लेकर या ड्युटी लगाकर इसकी धनिष्टता से जांच करेगा और मतदाता सूची में अंकित कमियों को दूर कर उसके पूर्ण और सही होने के सम्बन्ध में सन्तुष्टि कर लेगा ।*

ii) *जिला निर्वाचक अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लें कि क्या मतदाता सूची में उस खण्ड के सामान्यतः निवासी, संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य तथा पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के नाम सम्मिलित है या नहीं। यदि इनमें किसी का नाम छूट गया हो, उसे जोडा जाये और सूचि की एक बार पुनः सावधानी से जांच की जाये।*

iii) *उपरोक्तानुसार खण्ड के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों की कम्पयूटर से प्रतियां तैयार हो जाने पर, जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा उन्हें खण्डवार (पंचायत समितिवार) एकीकृत करके उनके तीन सैट तैयार किये जाए और उन्हें पदनाम की मोहर लगाकर प्रमाणित किया जाये । सैट की एक प्रति अपनी अभिरक्षा में रखी जाये, दूसरी प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भेज दी जाये तथा तीसरी प्रति को खजाना में जमा करवा दिया जाये । मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के लिए, जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा मे रखी मूल प्रति के अनुसार अतिरिक्त प्रतिंया तैयार करवा ली जाये ।*

*9. **मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन***

1) *उपरोक्त अनुसार तैयार की गई प्रत्येक मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा । प्रारूप मतदाता सूची निम्न स्थनों पर चिपकाई जाएगी –*

i) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालयों में,*

ii) *तहसील कार्यालय और खण्ड निर्वाचन कार्यालय, जिसमें ग्राम पडता हो, के नोटिस बोर्डों में,*

iii) *यदि मतदाता सूची जिला परिषद के वार्ड से सम्बन्धित है तो सम्बधिंत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर,*

iv) *जिस ग्राम से सूची समबन्धित है, उस ग्राम में एक या दो सहजदृश्य स्थानों पर ।*

परन्तु दावे तथा आक्षेप दायर करने की अवधि सात दिन से कम नहीं होगी ।

2) *प्रारम्भिक रूप से प्रकाशित मतदाता सूची तुरंत प्रभाव से जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी और इसकी प्रति राजनैतिक दलों को सी.डी के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी।*

10. ***प्रचार–प्रसार****– उपरोक्त स्थानों के बाबत जहां की मतदाता सूचियां सार्वजनिक निरीक्षण के लिये रखी जानी प्रस्तावित हों, तथा ग्राम में जिस स्थान पर उनके बारे दावे या आपतियां प्राप्त करने के लिये मतदाता सूचना एंव संग्रहण केन्द्र* (VICC)*की व्यवस्था की गई है, व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। इस हेतू सूचियों के प्रकाशन के कम से कम 3 दिन पूर्व* ***परिशिष्ट–छ*** *में दिये गये प्ररूप में ऐसे स्थानों पर एक सूचना प्रदर्शित की जाये, सूचना का प्रदर्शन सम्बन्धित प्रत्येक ग्राम में एक या दो सहजदृश्य स्थानों पर (जैसे कि सहकारी समिति का कार्यालय, उचित मूल्य की दुकान, आंगनवाडी केन्द्र, चौपाल आदि) में भी किया जाये, साथ ही सूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जिला परिषद् सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य को भी भेजी जाये । स्थानीय समाचार पत्रों तथा क्षेत्रीय आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र से भी इस सम्बन्ध में प्रचार कराया जाये। इसके अतिरिक्त गांव–गांव में इस बारे मुनयादी भी करवाई जाए और मुनयादी की आवश्यक प्रविष्टि* (entry) *ग्राम पंचायत के सम्बधित राजस्व रिकार्ड* (Rapat Rojnamcha Vakyati) *में की जाए ।*

अध्याय–4

दावें तथा आपतियां प्राप्त करना

1. प्रारम्भिक रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों के निरीक्षण, दावे व आपतियां प्राप्त करने तथा फार्म उपलब्ध करवाने बारे प्रशासनिक व्यवस्था

i) *मतदाता सूचि का निरीक्षण करवाने, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने तथा प्ररूप (फार्म) उपलब्ध करवाने के लिये, जिला निर्वाचक अधिकारी को उपयुक्त कर्मचारियों का चयन मतदाता सूचि तैयार करने की प्रकिया प्रारम्भ होते ही कर लेना चाहिए । ऐसे कर्मचारी निम्नांलिखित हो सकते हैं–*

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यलय	*किसी प्राधिकृत कर्मचारी/अधिकारी*
ग्राम पंचायत कार्यालय	*सम्बन्धित पटवारी या सहायक कृषि विकास अधिकारी या ग्राम सचिव या प्राधिकृत स्थानीय स्कूल के अध्यापक या किसी अन्य कर्मचारी जोकि जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो।*
मतदाता सूचना एवं संग्रहण केंद्र (VICC)	*ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की परिसीमा के अन्दर उपयुक्त स्थानों पर, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) द्वारा मतदाता सूची की सूचना /निरीक्षण करवाने, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने तथा प्ररूप (फार्म) उपलब्ध करवाने के लिये, मतदाता सूचना एवं संग्रहण केंद्रों* (VICC) *की यथा सम्भव स्थापना की जाएगी ।*

ii) *चयनित कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश **परिशिष्ट–सात** में दिये गये प्ररूप में जिला निर्वाचक अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जाये। परन्तु आदेश जारी करने के पूर्व चयनित कर्मचारियों की सूचि का अनुमोदन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से प्राप्त कर लिया जाये ।*

iii) *जहां तक जिला निर्वाचक अधिकारियों को सहायता प्रदान करने का प्रश्न है सामान्यता प्रत्येक खण्ड के लिये विकास एवं पंचायत अधिकारी/समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी/नायब तहसीलदार को नियुक्त किया जाये। परन्तु जिले में उपलब्ध नायब तहसीलदारों की संख्या कम होने पर, कानूनगो को भी नियुक्त किया जा सकता है। जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा, अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव, सम्बन्धित उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से परामर्श करके तैयार किये जायें। नियुक्ति आदेश जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचि के प्रारभिंक प्रकाशन के लिये अधिसूचना जारी होते ही जारी कर दिये जाये। नियुक्ति आदेश का प्रारूप **परिशिष्ठ आठ** में दिया गया है ।*

iv) *जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा, मतदाता सूचि के प्रारभिंक प्रकाशन के पूर्व किसी एक दिन, निर्धारित केन्द्रों के लिये नियुक्त किये गये समस्त प्राधिकृत कर्मचारियों को अपने कार्यालय या खण्ड मुख्यालय में बुलाकर उनके प्रशिक्षण का आयोजन किया जाये और उन्हें मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में आयोग द्वारा प्रकाशित निर्देश पुस्तिका तथा उनके क्षेत्र की मतदाता सूचि की एक प्रति के साथ अन्य आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाये।*

v) *जिन केन्द्रो में प्राधिकृत कर्मचारियों को कार्य करना है उनका जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा पहले से ही निरीक्षण करके वहां बैठने और कार्य करने के लिये निर्धारित समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायें ।*

vi) *प्रकाशित सूचि की सुरक्षा और देखभाल का उतरदायित्व सम्बन्धित कर्मचारियों का होगा। दावे तथा आपतियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत कर्मचारियों को निर्धारित अवधि के दौरान प्रत्येक कार्यकारी दिन पूरे समय सम्बन्धित केन्द्र पर निरन्तर उपस्थित रहना आवश्यक है ।*

vii) *जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) तथा जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा समय–2 पर मतदाता सूचि के निरीक्षण और दावे तथा आपतियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित केन्द्रों का निरीक्षण करते रहना चाहिए और यदि वहां कार्य संचालन में किसी कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है, तो उसे तत्परता से दूर किया जाये ।*

viii) *दावे तथा आपतियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्थान में मतदाता सूचि के निरीक्षण हेतू आने वाले लोगों के बैठने के लिये समुचित व्यवस्था की जाये। प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा दावे तथा आपतियों के लिये प्रयोग में लाने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विदित प्ररूप अथवा फार्मों के एक–एक नमूने अपने कक्ष में किसी सहज दृश्य स्थान पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जाये।*

ix) *जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारियों को दावे तथा आपतियों से सम्बन्धित कार्य के लिये निम्नांकित सामग्री उपलब्ध कराई जानी होगी। अतएव इनकी पहले से व्यवस्था की जाये.–*

क) सम्बन्धित मतदाता सूची की प्रति, दावे तथा आपतियों के लिये फार्म ***(परिशिष्ठ नौ से बारह),***

ख) दावे और आपतियों का दैनिक विवरण तैयार करने के लिए फार्म ***(परिशिष्ठ तेरह),***

ग) दावे और आपत्तियों के पंजीकरण हेतू रजिस्टर ***(परिशिष्ठ चौदह व पंद्रह),***

ध) अन्य सामग्री जैसे कि कम्प्यूटर, मतदाता सूची का डाटा बेस, इन्टरनैट कनैक्शन/डाटा कार्ड, वार्डबन्दी के आदेशों की कापी, रजिस्टर, स्टैम्प पैड, फर्नीचर इत्यादी, तथा

ड.) निरीक्षण लॉग बुक/रजिस्टर ***(परिशिष्ठ सोलह)*** *जिसमें कि सूचना एंव संग्रहण केन्द (VICC) एवं प्राधिकृत स्थानों का निरीक्षण करने आने वाले अधिकारी का नाम, पद संज्ञा, आने–जाने का समय, तिथि, हस्ताक्षर तथा टिप्पणी आदि के कॉलम अंकित हो ।*

x) *प्रत्येक प्राधिकृत कर्मचारी का उस जिला निर्वाचक अधिकारी से सम्बन्ध रहेगा जिसके अधिकार क्षेत्र के किसी मतदाता सूचना एंव संग्रहण केन्द (VICC) में उसे नियुक्त किया गया है और वह उसी के नियन्त्रण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेगा ।*

xi) *सम्बन्धित जिला निर्वाचक अधिकारी अपने अधीनस्थ आने वाले मतदाता सूचना एंव संग्रहण केन्द्रों (VICC) का समय–2 पर स्वयं निरीक्षण करेगा या इस कार्य के लिए किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त करेगा, ताकि इन्ह केद्रों पर नियुक्त कर्मचारी अच्छी तरह से अपने कार्य का निर्वहन कर सकें ।*

2. ***दावे एवं आपतियां प्राप्ती के लिए प्राधिकृत कर्मचारियों के लिए कुछ आवश्यक निर्देश***

i) *मतदाता सूचि के निरीक्षण के लिये निर्धारित स्थान* (VICC) *पर तैनात प्राधिकृत कर्मचारियों को दावे या आपतियां प्रत्येक कार्यकारी दिन कार्यालय समय के दौरान (अर्थात् प्रातः10.00 बजे से सांय 5.00 बजे व आखिरी दिन सांय 3.00 बजे तक) कभी भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्राधिकृत कर्मचारियों को उक्त अवधि के दौरान बराबर निर्धारित स्थान में उपस्थित रहना चाहिये। यदि कोई मतदाता चाहे तो सीधे जिला निर्वाचक अधिकारी को भी दावा या आपति प्रस्तुत कर सकता है या डाक से भेज सकता है । डाक से प्राप्त दावे और आपतियों की भी दैनिक विवरण रजिष्टर में उचित प्रविष्टि की जाए ।*

ii) *प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा दावे, आपति या प्रविष्टियों के संशोधन के लिये फार्म मागें जाने पर, तत्परता से प्रदान किया जाये ।*

iii) *सामान्यतया व्यक्ति द्वारा स्वयं प्रस्तुत आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाये, लेकिन यदि एक ही परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित आवेदन पत्र परिवार का कोई सदस्य इकट्ठा प्रस्तुत करे तो उन्हें ग्रहण कर लिया जाये। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (भले ही वह किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि क्यों न हो) दावे और आपतियां थोक में प्रस्तुत की जाये तो इन्हें ग्रहण न किया जाये तथा ऐसे प्रस्तुतकर्ता को सलाह दी जाये कि वह सम्बन्धित व्यक्तियों से अलग–2 आवेदन पत्र दिलाएं, क्योंकि दावों और आपतियों के आवेदनों पर जांच के सिलसिले में अलग–2 पूछताछ की जानी होगी।*

3, ***दावे तथा आपतियां* (claims and objections) *निम्न प्रकार के हो सकते हैं–***

i) ***सामान्य***

क) मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित न होना, नाम और स्थान गलत शब्दों के साथ लिखा हुआ होना तथा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित होना जो पात्र नहीं है।

ख) दावे और आपतियां केवल सम्बन्धित प्ररूप (Form) *में ही स्वीकार किये जा सकते हैं, किसी अन्य प्रकार के प्ररूप में नहीं। दावे तथा आपतियां छपे हुये फार्म में प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है, वे प्ररूप की फोटो कापी या बेवसाईट से डाउनलोड कर भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।*

ii) ***दावा***

क) दावा केवल मतदाता सूचि में नाम सम्मिलित करने के लिये किया जा सकता है। दावा परिशिष्ट नौ में वर्णित प्ररूप–1क में किया जा सकता है। दावे के समर्थन में सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूचि में सम्मिलित किसी मतदाता के हस्ताक्षर होना जरूरी है।

ख) यदि मतदाता अपना नाम मतदाता सूचि के एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थान्तरित करना चाहता है तो उसके द्वारा भी प्ररूप–1घ परिशिष्ट बारह में दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

iii) ***आपतियां***– *आपतियां दो प्रकार की हो सकती है, अर्थात्*

(□) ***मतदाता सूचि में सम्मिलित किसी प्रविष्ट* (entry) *के ब्यौरे (जैसे मकान, नम्बर, नाम, पिता/पति का नाम आयु) पर आपति***– *ऐसी आपति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे वह प्रविष्ट* (entry) *सम्बन्धित है। यह आपति प्ररूप–1ग में की जायेगी।*

(□) ***मतदाता सूचि में सम्मिलित किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर आपति***– *ऐसी आपति किसी मतदाता द्वारा ही की जा सकती है और वह परिशिष्ट–दस में वर्णित प्ररूप–1ख में की जायेगी। इस प्रकार की आपति के समर्थन में सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूचि में सम्मिलित किसी अन्य मतदाता के हस्ताक्षर होना जरूरी है।*

iv) *प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक दावे तथा आपति के सम्बन्ध में दावेदार या आपतिकर्ता को आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना जो सम्बन्धित प्ररूप के अन्त में लगी हुई है हाथों–हाथ दी जाये। इसमें सुनवाई के लिये वह तारीख अंकित की जाये जो दावा या आपति प्रस्तुत किये जाने के ठीक तीन दिन के अन्दर पडने वाले कार्यकारी दिवस की हो। साथ ही, दावेदार या आपत्तिकर्ता से प्ररूप में ही मुद्रित पावती पर उसके हस्ताक्षर करवा लिये जाये या अंगूठे के निशान लगवा लिया जाये।*

v) ***प्राधिकृत कर्मचारियों का यह कर्तव्य है कि यदि दावा या आपति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति विदित प्ररूप में आवेदन पत्र देने में कोई सहायता चाहे तो उसे आवश्यक सहायता या मार्गदर्शन दें।***

vi) *प्राधिकृत कर्मचारी प्रतिदिन उन्हें प्राप्त दावे और आपतियों का दैनिक विवरण परिशिष्ट–तेरह में दर्शाये गये प्ररूप में दो प्रतियों में तैयार करेगा, विवरण की एक प्रति और आपत्ति के साथ, अगले दिन दोपहर से पहले जिला निर्वाचक अधिकारी को भेज देगा, जबकि दूसरी प्रति अपने कार्य स्थान के नोटिस बोर्ड पर लगायेगा नोटिस बोर्ड पर लगाई गई प्रति 3 दिन तक न हटाई जाये, यदि किसी दिन कोई दावा या आपति प्राप्त न हो तो उस तारीख से सम्बन्धित खाली दैनिक विवरण तैयार किया जाये। दावे और आपतियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख को दोपहर बाद 3–00 बजे के बाद प्रस्तुत किसी दावे या आपति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।*

अगर दावे या आपति ई मेल द्वारा प्राप्त किये जाने बारे कोई सोफटवेयर तैयार किया जाता है, तो उसे प्रतिदिन चैक किया जाएगा तथा इस माध्यम से प्राप्त दावे व आपत्तियों की प्रविष्टि भी दैनिक विवरण रजिस्टर में अंकित कर उपरोक्त अनुसार आगे की कारवाई की जाए ।

अध्याय–5

दावे और आपतियों की जांच और उनका निपटारा

1. प्रस्तुत प्रत्येक दावे और आपति के सम्बन्ध में प्रस्तुतकर्ता से पूछताछ की जाये और उसके आधार पर उपरोक्त दावा या आपति के प्ररूप में सम्बन्धित स्थान पर प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा अपनी रिपोर्ट दर्ज की जाये। पूछताछ निम्नांकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में की जानी चाहिये–

i) *जिस वर्ष में मतदाता सूचियां तैयार की जानी है उस वर्ष की 1 जनवरी को दावेदार की आयु 18 वर्ष की हो जाने के सम्बन्ध में क्या प्रमाण है? स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि क्या है और यदि ऐसा प्रमाण पत्र न हो तो क्या अन्य दस्तावेज या परिस्थिति जन्म साक्ष्य के आधार पर उसकी आयु 18 वर्ष है? यदि मतदाता 18 वर्ष से कहीं अधिक उम्र का हो तो उसके द्वारा पूर्व में नगरपालिका या विधानसभा की निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज न कराये जाने का क्या कारण है? क्या ऐसे कारण संतोषजनक है?*

***नोट**– नये मतदाता की आयु का आधार राशन कार्ड में दर्ज उसकी आयु को वैद्य साक्ष्य नही माना जायेगा।*

ii) *उसका मामूली तौर पर निवास का स्थान कहां है और वह क्या करता है? उसके परिवार में और कौन–2 लोग है ?*

iii) *जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसका नाम मतदाता सूचि में बने रहने पर आपति (तथा नाम हटाये जाने की मांग) की गई है, उसकी मृत्यु कब/कहां हुई है?*

iv) *जिस व्यक्ति का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने या अन्य स्थान पर चले जाने या अपात्रता के कारण मतदाता सूचि में बने रहने पर (तथा नाम हटाये जाने के लिये मांग) आपत्ति की गई है, वह कहां रहता है या कब और कहां चला गया या उसकी कथित आयोग्यता का आधार क्या है?*

2. जिला निर्वाचक अधिकारी व प्राधिकृत अधिकारी (Authorised Officer), *बी0एल0ओ0 व किसी अन्य प्राधिकृत कर्मचारी* (Authorised Official) *द्वारा सम्बन्धित फार्म में दी गई किसी भी टिप्पणी पर आंखे मूंद कर विश्वास नही करेगा, बल्कि वह अपना निर्णय फार्म के साथ लगे दस्तावेजों की स्वंय जांच उपरांत ही लेगा।*

3. जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारियों से प्रतिदिन दोपहर पूर्व में, पिछले दिन से सम्बन्धित समस्त दावों और आपत्तियों के आवेदन पत्रों को परिशिष्ट–तेरह में तैयार किये गये दैनिक विवरण सहित अपने कार्यालय में मंगाने की समुचित व्यवस्था की जाये।

4. जिला निर्वाचक अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के प्राधिकृत कर्मचारियों से दावे और आपत्तियों के आवेदन पत्र के साथ जो "दैनिक विवरण" परिशिष्ट–तेरह प्राप्त हो, उसमें उल्लिखित प्रकरणों का पंजीकरण, अलग से दावा (परिशिष्ट–चौदह) व आपत्ति (परिशिष्ट–पन्द्रह) प्रकरण रजिस्टर में भी किया जायेगा।

5. आपतियों से सम्बन्धित ऐसे मामलों में जिनमें मतदाता सूचि में किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर आपति की गई हो, (अर्थात् प्राप्त आपतियों से सम्बन्धित मामलों में) आक्षेपित व्यक्ति को

सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। अतएव इस प्रकार के मामलों में आक्षेपित व्यक्ति को सुनवाई के लिये उसके ज्ञात पते पर (अर्थात् मतदाता सूचि में दर्ज मकान तथा वार्ड के पते पर) ***परिशिष्ट–सत्रह*** *में दिये गये प्ररूप में, तुरन्त सूचना भेजी जाये। सूचना की तामील–रसीद प्रकरण में सम्बन्धित अभिलेख में रखी जाये। इस सूचना में सुनवाई के लिये वही तारीख अंकित की जाये जो कि आपतिकर्ता को प्राधिकृत कर्मचारी ने निर्धारित प्ररूप में उसकी आपति प्राप्त करते समय दर्ज की हो।*

6. जिला निर्वाचक अधिकारी को प्राधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से प्राप्त दावों और आपतियों पर सुनवाई उस तारीख को अवश्य करनी चाहिये जो दावेदार या आपतिकर्ता को दी गई पेशी तारीख की सूचना में अंकित है। निर्धारित तारीख को सुनवाई और आवश्यक जांच कर लेने से, न केवल पक्षधारी को सुविधा होती है, बल्कि कार्य नियमित रूप से निपटाया जाता है और आखरी दिनों के लिये काम का बहुत अधिक बोझ इकटठा नहीं होने पाता। सभी दावे और आपत्तियां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तारीख तक अवश्य निपटा दिये जाने चाहिये।

7. जिला निर्वाचक अधिकारी के कार्य का अंधिकाश भाग मतदाता सूचि में नाम जोडे जाने के लिये दावों से सम्बन्धित रहता है। ऐसे दावों में मुख्यतः यह देखा जाना होता है कि क्या दावेदार उस वर्ष की 01 जनवरी को जिस वर्ष में मतदाता सूचि पुनरीक्षित की जा रही है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तथा क्या वह वस्तुतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र का मामूली तौर पर (अर्थात् सामान्यतः) निवासी है।

8. जहां तक आयु का प्रश्न है उसके लिये जन्मतिथि का कोई विश्वसनीय आधार (जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, परीक्षा प्रमाण पत्र, पाठशाला या नगरपालिका या ग्राम पंचायत के अभिलेख में लिखित जन्म तिथि आदि) उपलब्ध हो तो काम आसान हो जाता है।

नोट– *नये मतदाता की आयु का आधार राशन कार्ड में दर्ज उसकी आयु को वैद्य साक्ष्य नही माना जायेगा।*

9. जहां तक मामूली निवास स्थान (अर्थात् सामान्यतः निवास करने के स्थान) का प्रश्न है, यह तथ्य का प्रश्न है कि, वह उस स्थान विशेष का निवासी है या नहीं। मामूली तौर से निवासी (सामान्यतः निवासी) का अर्थ निम्न प्रकार से है–

> *"मामूली तौर पर निवास स्थान से आशय उस स्थान से है जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति सामान्यतः सोने के लिये करता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह उस स्थान पर खाना भी खाता हो। वह भोजन या काम बाहर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है। रहने के ऐसे सामान्य स्थान से अस्थायी अनुपस्थिति की अनदेखी की जा सकती है, कुछ समय के लिये अनुपस्थित रहना किसी व्यक्ति के सामान्यतः निवास को तब तक समाप्त नहीं करेगा जब तक वह वहां लौटाने में समर्थ है और वहां लोटना चाहता है। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट है कि सांसद और विधायक भले ही (सासंद या विधायक के रूप में) अपने कार्याकलापों के सिलसिले में अपने रहने के समान्य स्थान से बाहर रहते हो फिर भी वे भी अपने ग्राम में मतदाता के रूप में पंजीकरण के हकदार होंगें। यह केवल तथ्य का प्रश्न है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान विशेष का सामान्यतः निवासी है या नहीं? जो व्यक्ति नौकरी या व्यापार के लिये अपने ग्राम से बाहर चला गया हो उसे उस स्थान से बाहर गया हुआ ही माना जायेगा। सम्बन्धित ग्राम या नगर में ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे के किसी भवन या किसी अन्य सम्पति से उसे समान्यतः निवासी की योग्यता प्राप्त नहीं होगी।"*

10. जेलों, अस्पतालों आदि में रहने वाले व्यक्ति उन ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूचि में शामिल नहीं किये जा सकते जिनमें ऐसी संस्थाएं स्थित है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इन संस्थाओं में अस्थायी अवधि के लिये ही रह रहे होते हैं। यही स्थिति लगभग अधिकांश छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के सबन्ध में भी लागू होती है, परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था (जैसे कि किसी आश्रम या निकतेन) में लम्बे समय से रह रहा हो और उसका अपने सामान्यतः निवास के स्थान पर आते जाते रहने का सिलसिला लम्बे अन्तराल से बन्द हो गया हो, तो उसे स्थान का सामान्य निवासी माना जा सकता है, जहां ऐसी संस्था स्थित हो। सामान्यतः सिद्धान्त यह है कि किसी व्यक्ति को उसके निवास के सामान्य स्थान पर पंजीकरण किया जाना चाहिय, भले ही वह वहां से अस्थाई तौर पर अनुपस्थित भी क्यों न रहता हो परन्तु उसे ऐसे स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिये जहां वह अस्थायी रूप से रह रहा हो ।

11. संदेहास्पद मामलो में दावेदार/आपतिकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है या दावेदार के निवास स्थान/मोहल्ले में जाकर स्थानीय पूछताछ की जा सकती है। यदि किसी क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुये हो तो उनके उचित और शीघ्र निराकरण के लिये मौके पर संक्षिप्त जांच करना बहुत आवश्यक होगा।

12. जिला निर्वाचक अधिकारी निश्चित तिथि को तथा स्थान पर दावों व आपत्तियों की प्राप्ति के तीन दिनों की अवधि के भीतर पक्षकारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं की सुनवाई करने उपरांत योग्यता के आधार पर दावों व आपत्तियों पर निर्णय करेगा तथा, यदि कोई व्यक्ति जो ऐसे दावे को स्वीकार करने पर आपत्ति करे तो वह ऐसे साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जाए या जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, पर विचार करने के बाद –

i) *दावों व आपतितयों के नियमानुसार न होने पर जिला निर्वाचक अधिकारी, किसी भी दावे या आक्षेप को अस्वीकृत करेगा या ऐसे आदेश पारित करेगा जिसे वह उचित समझें। दावेदार/आपतिकर्ता का ब्यान अभिलिखित करने और ऐसी अन्य संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसा कि जिला निर्वाचक अधिकारी उचित समझे, उसके द्वारा अपना निर्णय लिखित में किया जाये तथा दावेदार/आपतिकर्ता द्वारा मांग किये जाने पर आदेश की एक प्रति तत्काल निशुल्क प्रदान की जाये, तथा*

ii) *खारिज कर देगा जिसमें दावेदार या आक्षेपकर्ता उपस्थित नहीं है अथवा प्रस्तुत नहीं करता है।*

13. जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा निपटाये गये समस्त दावों और आपतियों का विवरण और उनमें अपने निर्णयों का सार प्रकरण रजिस्टर/ब्यौरा रजिस्टर परिशिष्ट–चौदह व पन्द्रह में दर्ज किया जाये। ब्यौरा रजिस्टर की प्रत्येक प्रविष्टि के समक्ष जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जाये और यदि किसी प्रविष्टि में कोई काट–छांट हो तो वहां पर भी अपने लघु हस्ताक्षर किये जायें, रजिस्टर के अंतिम पृष्ठ में, आखरी प्रविष्टि के नीचे, जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर किये जाये और अपनी मोहर भी लगाई जाये ।

14. अपील

i) *यदि कोई व्यक्ति जिला निर्वाचक अधिकारी के द्वारा पारित आदेशों से संतुष्ट नही है तो वह आदेश पारित होने की तिथि के पांच दिनों के अन्दर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)को जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की प्रति साथ संलगन कर पुनरीक्षण*

के लिए आवेदन कर सकता है । उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आवेदन प्राप्त होते ही व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तिथि व समय निर्धारित कर सम्बन्धित व्यक्ति को दस्तावेजों सहित उपस्थित होने बारे सूचित करेगा तथा सम्बन्धित जिला निर्वाचक अधिकारी को भी उक्त दिन सम्बन्धित दस्तावेज लेकर हाजिर होने के आदेश जारी करेगा ।

ii) *व्यक्तिगत सुनवाई एवं सम्बन्धित दस्तावेजों का निरीक्षण करने उपरांत उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अपील पर सात दिन के भीतर निर्णय करेगा । अपने निर्णय में वह जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि कर सकता है, या रद्द कर सकता है या दावे अथवा आक्षेप के सम्बंध में ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उचित समझे ।*

iii) *उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) का किसी अपील पर दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।*

अध्याय–6

अंतिम मतदाता सूचि तैयार करना और उसका प्रकाशन

1. ***मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन***–*जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा दावों तथा आक्षेपों के निपटान व अपीलों पर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा लिये गये निर्णय उपरांत, सबंधित जिला निर्वाचक अधिकारी मतदाता सूची को अन्तिम रूप देगा । इस प्रकार से संशोधित मतदाता सूची अन्तिम होगी व उसकी दो प्रतियां जिला निर्वाचक अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित उनके कार्यालयों में रखी जाएगी और कथित आदेशों के अनुसार तैयार परिवर्धन तथा संशोधन की सूची सहित, नियम 9 के अधीन विहित विधि अनुसार प्रकाशित की जाएगी और इस बारे सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी व अन्य सम्बन्धित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर* ***परिशिष्ट अठारह*** *में दिये गये प्ररूप अनुसार चस्पा की जायेगी और मतदाता सूची को जिला प्रशासन की* website *पर मतदाताओं के अवलोकन हेतू डाल दी जाएगी। मतदाता सूची की दो प्रतियां तथा इसकी सी. डी.* (Compact Disk) *राजनैतिक दलों को निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी ।*

2. ***मुद्रण–*** *विभिन्न प्रयोजनों के लिए (ग्राम पंचायतवार) मतदाता सूची की सामान्यताः तीस प्रतियों की आवश्यकता होती है। अतएव अन्तिम रूप से तैयार मतदाता सूची से अन्य प्रतियां तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मुद्रण की व्यवस्था की जाये। छपी हुई प्रति की प्रूफ रिडिंग का दायित्व सम्बन्धित जिला निर्वाचक अधिकारी का होगा। अतः यह कार्य सावधानी से किया जाना अपेक्षित है ताकि सूची में कोई बड़ी गलती जैस कि मतदाता का नाम छूट जाना या किसी कटे हुये नाम का मुद्रित हो जाना आदि ना होने पाये।*

3. ***अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में त्रुटियां ठीक करना***–*यदि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) उसको दिये गये आवेदन पत्र पर या अपनी स्वप्रेरणा से ऐसी जांच जिसे वह ठीक समझें, के बाद संतुष्ट हो जाता है, कि किसी वार्ड की मतदाता सूची में उसके अन्तिम प्रकाशन के उपरांत भी कोई प्रविष्ट* (entry) –

   i) *विशेष रूप से गलत या त्रुटिपूर्ण है; या*

   ii) *को इस आधार पर कि सम्बन्धित व्यक्ति ने वार्ड के अन्दर ही अपने सामान्य निवास स्थान को बदल लिया है, मतदाता सूची में अन्य स्थान पर उसे बदला जाना चाहिए ; या*

   iii) *को इस आधार पर काट देना चाहिए कि सम्बन्धित व्यक्ति कि मृत्यु हो गई है या सामान्यतः वार्ड में निवासी नहीं रहा है या अन्यथा उस मतदाता सूची में रजिस्टर्ड किए जाने का हकदार नहीं है; या*

   iv) *वह राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा द्वारा इस निमित्त दिये गये ऐसे साधारण या विशेष निर्देषों यदि कोई हो, के अध्यधीन प्रविष्टि को संशोधित कर सकता है, उसका स्थान बदल सकता है या काट सकता है।*

   परन्तु उपरोक्त किसी भी आधार पर कोई निर्णय करने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का प्रयाप्त अवसर देगा।

4. ***अन्तिम रूप में प्रकाशित मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करना–*** *ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी वार्ड की अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो वह मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए नियम 12–सी में दिये निम्न लिखित प्रावधानों अनुसार आवेदन कर सकता है–*

अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन करने की विधि

i) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 12–सी में दी गई व्यवस्था अनुसार अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में त्रुटियां ठीक करने व नाम शामिल करने के लिए आवेदन पत्र की दोहरी प्रतियां प्ररूप 1क,1ख,1ग या 1घ (जो उपयुक्त हो) में से किसी एक में दिया जाएगा और आवेदन प़त्र के साथ पांच रूपये की फीस संलग्न की जानी होगी ।*

ii) *परन्तु ऐसा आवेदन प़त्र जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) को संबोधित किया जाएगा जो प्रकाशन की तिथि को छोडकर चुनाव कार्यकम की प्रकाशन की तिथि से कम से कम चार दिनों के भीतर किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है। फीस की अदायगी निम्नानुसार की जा सकती है–*

(□) *न्यायिकेतर स्टाम्पों द्वारा ; या*

(□) *सम्बधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) के पक्ष में सरकारी खजाने या प्राधिकृत (सरकारी पावतियों के संग्रहण के लिए प्राधिकृत) बैंक में जमा की जाएगी; या*

(□) *सम्बधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) से या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से उचित रसीद लेकर नकद अदा की जाएगी, जो वापिस योग्य नहीं होगी।*

iii) *जहां फीस सरकारी खजाने में जमा करवाई जाती है वहां आवेदनकर्ता आवेदन पत्र के साथ खजाने की रसीद संलग्न करेगा। जहां फीस की अदायगी उपरोक्त अन्य किसी तरीके से की जाती है वहां आवेदक आवेदन प़त्र के साथ उस द्वारा नकद में जमा की गई या अदा की गई फीस के प्रमाण में नकद में फीस प्राप्त करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) या इस निमित उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की गई उचित रसीद संलग्न करेगा ।*

iv) *जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) ऐसे आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर तत्काल निर्देश करेगा कि उसकी एक प्रति ऐसे चिपकाने की तिथि से चार दिन की अवधि के भीतर ऐसे आवेदनों पर आक्षेप आमंत्रित करने के लिए नोटिस सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के किसी सहजदृश्य स्थानों पर, तथा उसके कार्यालय में किसी स्थान पर लगाई जाए ।*

v) *जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) उपरोक्त वर्णित अवधि की समाप्ति के बाद उस द्वारा प्राप्त आक्षेप, यदि कोई हो, पर विचार करेगा और यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि आवेदक मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करवाने का हकदार है तो वह उस वार्ड में निर्वाचन के लिए नामांकन करने की अन्तिम तिथि से पहले मतदाता सूची में उसका नाम शामिल करने के निर्देश देगा।*

vi) *परन्तु यदि आवेदक का नाम किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में पंजीकृत है तो जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत), सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) को सूचित करेगा और इसके बाद ऐसी सूचना की प्राप्ति पर आवेदक का नाम उस मतदाता सूची से काट देगा ।*

vii) *उपरोक्त अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामील किये जाने के आदेश पारित दिये जाते हैं उन्ह व्यक्तियों की*

addenda (*परिवर्धन/परिशिष्ट*) *सूची तैयार की जाए और उसे सम्बन्धित मूलसूचि की कम संख्या से आगे जारी रखा जाये । जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने के नाम आदेश पारित किये गये हैं उनकी विलोपन सूची तैयार कर उनके नाम सम्बन्धित ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि से काट दिये जायें । इस प्रकार मतदाता सूची को संशोधित कर बेवसाईट* **(website)** *में डाला जाए और इसकी प्रति राजनैतिक दलों को भी उपलब्ध करवाई जाएगी ।*

अध्याय–7

अतिमं रूप से प्रकाशित मतदाता सूचि का निरीक्षण एवं विकी

1. अतिमं रूप से प्रकाशित मतदाता सूचि का निरीक्षण तथा उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति जारी करना–*कोई भी व्यक्ति दो रूपये की फीस का नकद भुगतान करके, जिसके लिये उसे रसीद दी जायेगी, अतिंम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचि का निरीक्षण कर सकता है। इस प्रकार के निरीक्षण की सुविधा प्रत्येक खण्ड में, जिला निर्वाचक अधिकारी के कार्यालय में और जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में उपलब्ध करवाई जाये । यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूचि के किसी अशं की प्रमाणित प्रति प्राप्त करना चाहता है तो वह उक्त कार्यालयों से, इस कार्या के लिए प्राधिकृत किसी कर्मचारी /अधिकारी से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत फीस पांच रूपये प्रति पेज के हिसाब से मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है ।*

2. मतदाता सूचियों की बिकी– *बिकी के प्रयोजन के लिये ग्राम पंचायत की पूरी मतदाता सूचि को एक इकाई (यूनिट) माना जाये और उसे छोटे भागों अर्थात् वार्डवार टुकड़ों में न बेचा जाय । मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए फीस की अदायगी निम्नानुसार की जा सकती है –*

1. *इस कार्य के लिए प्राधिकृत किसी कर्मचारी/अधिकारी से उचित रसीद लेकर नकद, या*

2. *सरकारी खजाने या प्राधिकृत (सरकारी पावतियों के संग्रहण के लिए प्राधिकृत) बैंक में निम्नांकित मद में जमा की जाये –*

Major Head	:	0070-Other Administrative Services
Sub Major Head	:	02-Election-
Minor Head	:	101-Sale proceed –Election forms and documents.
Sub Head	:	(94) –Sale Proceed of Election forms and documents of State Election Commission.

अध्याय–8

मतदाता सूची तथा सम्बन्धित दस्तावेजों की अभिरक्षा तथा परिरक्षण

1. *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद व इनके किसी भी वार्ड की मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन किए जाने के बाद, निम्नलिखित दस्तावेज उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) के अभिलेख कक्ष में या राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य किसी स्थान पर, उस मतदाता सूची का आगामी गहन पुनरीक्षण पूरा होने के बाद एक वर्ष की समाप्ति तक रखे जाएंगे–*

- i) *मतदाता सूची की एक पूर्ण प्रति तथा मसौदा मतदाता सूची और दोहरी पेस्टिंग फाइलें;*
- ii) *प्रारूप मतदाता सूची के सभी दावें तथा आक्षेपं;*
- iii) *जिला निर्वाचक अधिकारी को प्रस्तुत सभी आवेदन पत्र;*
- iv) *उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) को प्रस्तुत सभी आवेदन;*
- v) *जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) को नियम 12क व 12ख के अधीन प्रस्तुत सभी आवेदन ; तथा*
- vi) *जिला निर्वाविचक अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) के सभी निर्णय तथा निर्देश।*

3. जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची की एक पूर्ण प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) के अभिलेख कक्षा या राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे स्थान पर मतदाता सूची के आगामी गहन पुनरीक्षण पूरा होने के बाद एक वर्ष की समाप्ति तक रखी जाएगी।

3. ***मतदाता सूची तथा सम्बन्धित दस्तावेजों का निपटान****–उपरोक्त दस्तावेजों को उनमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इनका निपटान किया जाए ।*

अध्याय–9

पंचायत उप–चुनावों के लिये मतदाता सूचि तैयार करना

1. त्रिस्तरीय पंचायतों के उप–चुनावों के सन्दर्भ में मतदाता सूचियां तैयार करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाये–

i) *जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा जिले के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की प्रचलित निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां जिला कार्यालय की निर्वाचन शाखा से प्राप्त की जाये और उसे खण्डवार* (wardwise) *भागों में बांटा जाये। इससे सम्बन्धित मतदाता सूचियों का डाटाबेस एन0आई0सी0 के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के कार्यालय से भी उपलब्ध करवाया जायेगा। इस बात का ध्यान रखा जाये कि निर्वाचक नामावली की खण्डवार प्रतियां पूर्ण और सुसंगत है और उनके साथ संलग्न अनुपूरूक सूचियां भी लगी हुई है।*

ii) *जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रत्येक खण्ड से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों का एक सैट जो कि पूर्व निर्वाचन के समय तैयार किया गया हो, अपने स्टाक से निकलवाया जाये ।*

iii) *उक्त दोनों सैट को इकटठा करके सम्बन्धित खण्ड के जिला निर्वाचक अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाये।*

iv) *जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा खण्ड विकास एवं पचांयत अधिकारी की सहायता से पूर्व चुनाव के समय तैयार किये गये सैट में से उन ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को विस्तृत पुनरीक्षण हेतू अलग कर लिया जाये जो जिला परिषद/पंचायत समिति के उस समय रिक्त निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है और जिसमें उप–चुनाव होना है या जिनमें सरपंच या पंच के रिक्त स्थान के लिये उप–चुनाव होना है ।*

v) *तत्पश्चात इन सूचियों का विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली वाले सैट के सुसंगत भाग के साथ मिलान करके इन्हें अपडेट किया जाये। इसका सहज तरीका यह है कि दो–दो कर्मचारियों की पार्टियां (टोलियां) बनाकर प्रत्येक पार्टी को 8 से 10 ग्राम पंचायतों की पूर्व चुनाव से सम्बन्धित "मतदाता सूचिया" तथा विधानसभा की प्रचलित "निर्वाचक नामावली" के सुसंगत भाग अनुकमांक सौपें जाये, पार्टी का पहला कर्मचारी एक–एक करके प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में शामिल मतदाताओं के नाम कमशः पढता जायेगा तथा दूसरा कर्मचारी विधानसभा के सुसंगत भाग अनुकमांक की निर्वाचक नामावली में उन नामों के सामने सही का निशान (√) लगाता जायेगा।*

vi) *इस प्रकार ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि का विधान सभा की निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग से मिलान कार्य पूरा हो जाने पर विधान सभा की निर्वाचक नामावली से सुसंगत भाग में जो नाम शेष रह जाये उन्हें सम्बन्धित ग्राम पंचायत की अनुपूरक मतदाता सूचि में परिवर्धन से सम्बन्धित खण्ड में जोड़ दिया जाये।*

vii) *विधान सभा की निर्वाचक नामावली में जो नाम संशोधित किये गये हो (अर्थात् संशोधन सूचि में सम्मिलित हों) यदि वे ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में भी अशुद्ध रूप से छपे हुये हो तो संशोधित कर दिया जाये और उनकी प्रविष्टि अनुपूरक सूचि में संशोधन से सम्बन्धित खण्ड में की जाये।*

viii) *इसी कम में विधान सभा की निर्वाचक नामावली में जो नाम कटे हुये हो अर्थात् विलोपन सूचि में सम्मिलित हो उन्हें ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में भी काट दिया जाये और सम्बन्धित*

अनुपूरक सूचि में विलोपन से सम्बन्धित खण्ड में दर्ज किया जाये। संभवतः यदि ग्राम पंचायत की मूल सूचि में ऐसे नाम पहले से ही न हो तो उनके विलोपन का प्रश्न ही नहीं उठता।

ix) *यह सम्भव है कि ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि में कुछ ऐसे नाम जो विधान सभा की निर्वाचक नामावली में शामिल न हो ऐसे अतिरिक्त नामों को ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचि से काटा न जाये। उन्हें यथावत बने रहने दिया जाये।*

x) *संशोधित अनुपूरक सूचि में "परिवर्धन" (अर्थात जोड़े हुये अतिरिक्त नाम) के अन्तर्गत सम्मिलित मतदाताओं के कमांक (सिरियल नम्बर) मूलसूचि की कम संख्या से आगे जारी रखे जाये। उदाहरणार्थ यदि मूल सूचि में अतिम मतदाता का सरल कमांक 937 हो तो परिवर्धन सूचि कमांक 938 से प्रारम्भ की जाये और उसे कमशः आगे बढाया जाये।*

xi) *उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये अलग–2 अनुपूरक सूचि की कम्प्यूटरीकृत प्रति तैयार करने की कार्यवाही हाथ में ली जाये। यह कार्य कार्यालय के ऐसे कुछ चुने हुये कर्मचारियों से कराया जाये जिन्हे कम्प्यूटर का ज्ञान हो, रिक्त निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी ग्राम पंचायतों की अनुपूरक सूचियों की कम्पयूटरीकृत प्रतियां तैयार हो जाने पर किसी वरिष्ठ स्तर के कर्मचारी से उनकी जांच कराई जाये और यदि जांच में कोई त्रुटि पाई जाये तो उसे सुधार दिया जाये।*

xii) *तदुपरान्त जिला निर्वाचक अधिकारी, कम्प्यूटरीकृत प्रति की स्वयं नमूना जांच कर लेवें और उनके पूर्ण और सही होने के सम्बन्ध में संतुष्टि हो जाने पर प्रत्येक ग्राम पंचायत से सम्बन्धित अनुपूरक सूचि की प्रति के अतिंम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर के साथ पदनाम की मोहर लगाकर उसे प्रमाणित करें।*

xiii) *तत्पश्चात उप–निर्वाचन वाले क्षेत्रों से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां (संशोधित अनुपूरक सूचियां सहित) इकटठा करके उनकी फोटो कापी कराकर एक अतिरिक्त सैट तैयार कराया जाये। मूल सैट अपने पास रखते हुये जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा दूसरा सैट जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को मुद्रणार्थ भेज दिया जाये । उपरोक्त सारी प्रकिया पूरी होने पर ही मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन किया जाये ।*

xiv) *उप चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करने के लिए आगे की प्रकिय ठीक उसी प्रकार अपनाई जाये जैसे कि आम चुनावों के दौराण अनाई जाती है ।*

2. *विशेष टीपणी*

उपरोक्त विवरण से यह देखा जायेगा कि त्रिस्तरीय पंचायतों के उप–चुनावों के सन्दर्भ में, केवल उन्ही ग्राम पंचायतों का प्रारूप मतदाता सूचियां विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली के आधार पर तैयार की जानी है जो जिला परिषद, पंचायत समिति के ऐसे रिक्त निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है जिसमें सदस्य का उप–चुनाव होना है या जिसमें सरपंच या पंच के रिक्त स्थान के लिये उप–चुनाव होना है।

परिशिष्ट–1

मतदाता सूचि तैयार करने से सम्बन्धित हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों का उद्धरण

ग्राम के सम्बन्ध में अधिसूचना

धारा 7 के तहत सरकारी अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्राम के किसी भाग अथवा मिलते हुये समूह को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये एक या अधिक सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकती है ।

निर्वाचन खण्ड

धारा 162 तथा धारा 7 के अधीन गठित प्रत्येक सभा क्षेत्र खण्ड तथा जिला इस अधिनियम की धारा 8(3)58(2) तथा 119(2) में यथा निर्दिष्ट वार्डो में विभाजित किया जायेगा।

निर्वाचन खण्ड

धारा 163 तथा धारा 7 के अधीन गठित प्रत्येक ग्राम के लिये राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण के अधीन इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार मतदाताओ की एक सूचि तैयार की जायेगी।

ग्राम के मतदाताओ का रजिस्ट्रीकरण

धारा 165 के तहत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस ग्राम से सम्बन्धित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचक नामावली से सुसंगत भाग में मतदाता के रूप में पंजीकृत किये जाने का हकदार है या जिसका नाम उसमें पंजीकृत है और उस ग्राम का मामूली तौर से निवासी है उस ग्राम की मतदाता सूचि में पंजीकृत किये जाने का हकदार होगा।

परन्तु–

धारा 167 के तहत कोई भी व्यक्ति उसी पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के एक से अधिक निर्वाचन खण्ड के लिये मतदाता सूचि में अपना नाम शामिल करवाने का हकदार नहीं होगा।

धारा 168 के तहत कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार किसी निर्वाचन खण्ड के लिये मतदाता सूचि में अपना नाम पंजीकृत करवाने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण–

(i) अभिव्यक्ति "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ वही होगा जो उसके लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का सं0 43) की धारा 20 में दिया गया है किन्तु इस उपरान्तरण के अध्यधीन रहते हुये कि उसमें किया गया "निर्वाचन क्षेत्र" के प्रति निर्देश का इस प्रकार अर्थ लगाया जायेगा कि वह "ग्राम" के प्रति निर्देश है ।

(ii) कोई व्यक्ति किसी ग्राम की मतदाता सूचि में पंजीकृत किये जाने के लिये अयोग्य होगा, यदि वह विधानसभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किये जाने के लिये निरर्हित है ।

2. उपरोक्त धाराओ में प्रयुक्त शब्दो एवं अभिव्यक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है–

(i) विधान सभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किये जाने के लिये निरर्हता की शर्ते तथा "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 से 20 में वर्णित है। इन धाराओ के उद्धरण इस परिशिष्ट के साथ जोडे गये अनुलग्नक में दिये गये हैं ।

परिशिष्ट –एक का अनुलग्नक

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अन्तर्गत निर्वाचक नामवाली तैयार करने से सम्बन्धित धारा 16 से 20 का उद्धरण ।

16. *निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिये निरर्हताएं/अयोग्यताएं*–(1) *यदि कोई व्यक्तिः–*

(□) *भारत का नागरिक नहीं है, अथवा*

(□) *विकृतचित है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है, अथवा*

(□) *निर्वाचनों के सम्बन्ध में भ्रष्ट आचारणों और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि उपबन्धों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित है, तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के निरर्हित है ।*

(2) *रजिस्ट्रीकरण के पश्चात जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हत हो जाता है, उसका नाम उस निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जायेगा जिसमें वह दर्ज है।*

परन्तु किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन निर्हरता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनः स्थापित कर दिया जायेगा ।

17. *एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार न होगा।*

18. *किसी निर्वाचन क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा, किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार न होगा ।*

19. *रजिस्ट्रीकृत की शर्तें इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि हर व्यक्ति जो :–*

(□) *अर्हता की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, तथा*

(□) *किसी निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ,*

उस निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिये हकदार होगा।

20. "*मामूली तौर से निवासी*" *का अर्थ* (1) *किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह निर्वाचन क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है को यह न समझा जायेगा कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।*

(□) *अपने मामूली निवास स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है ।*

(□) *संसद का या किसी राज्य के विधान मण्डल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है उसकी बाबत इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में उस निर्वाचक क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह न समझा जायेगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है ।*

(2) *जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्प से पीडित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिये पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थान में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरूद्व है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी है ।*

(3) *किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सेवा अर्हता रखता है यह समझा जायेगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें यदि उसकी ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता ।*

(4) *जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पद धारण किये हुये है जिसे राष्ट्रपति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा पद घोषित कर दिया है जिसनें इस उपधारा के उपबन्ध लागू है उसके बारे में यह समझा जायेगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें, यदि वह कोई ऐसा पद धारण न किये होता तो वह, उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता ।*

(5) *ऐसे किसी व्यक्ति का जिसके प्रति उप–धारा* (3) *या उपधारा* (4) *में निर्देश किया गया है, निहित प्ररूप में किये गये और विहित रीति में सत्यापित, इस कथन की बाबत कि यदि मेरी सेवा अर्हता न होती या मैं किसी को धारण न किये होता, जैसा उप–धारा* (1) *निर्दिष्ट है, तो मैं एक विनिर्दिष्ट स्थान में किसी तारीख को मामूली तौर से निवासी होता, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह स्वीकार किया जायेगा कि वह ठीक है ।*

(6) *यदि ऐसे किसी व्यक्ति की पत्नी जिस व्यक्ति के प्रति उपधारा* (3) *या उपधारा* (4) *में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से निवास करती हो तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझा जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा* (5) *के अधीन विनिर्दिष्ट किये गये निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।*

(7) *यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहां का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब तथ्यों की ओर ऐसे नियमों के जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित बनाये जांए, प्रति निर्देश से अवधारित किया जायेगा।*

(8) *उपधारा* (3) *और* (5)*मे* "*सेवा अर्हता*" *से :–*

(□) *संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा*

(□) *ऐसे बल का सदस्य होना जिसको सेना अधिनियम* 1950 (1950 *का* 46) *के उपबन्ध उपान्तरो सहित या रहित लागू कर दिये गये है, अथवा*

(□) *किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा*

(□) *ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है, अभिप्रेत है ।*

मतदाता सूचि तैयार करने से सम्बन्धित हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 उद्धरण

8. ***मतदाता सूचि तैयार करना***–*राज्य निर्वाचन आयुक्त, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के मतदाताओं की वार्ड वार एक सूचि प्ररूप–1 (परिशिष्ट दो का अनुलग्नक) में देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में तैयार करवायेगा।*

9. ***मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन***– *नियम 8 के अधीन तैयार की गई प्रत्येक मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी तथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालय और तहसील कार्यालय और खण्ड निर्वाचन कार्यालय, जिसमें ग्राम पड़ता हो, के नोटिस बोर्डों पर और यदि मतदाता सूची जिला परिषद के वार्ड से सम्बन्धित है, तो सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर और, गांव जिस से सूची संबंधित है, प्रत्येक गांव में एक या दो सहजदृश्य स्थानों पर चिपकाई जाएगी ।*

परन्तु सात दिन से कम की अवधि दावे तथा आक्षेप दायर करने के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

9 क. दावे तथा आक्षेप करने तथा दायर करने का ढंग

1. *(1) प्रत्येक दावा निम्न अनुसार किया जायेगा–*

(□) *प्ररूप 1 क में ;*

(□) *मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा ; तथा*

(□) *जिस वार्ड की मतदाता सूची में दावेदार अपना नाम शामिल करवाना चाहता है उस मतदाता सूची में पहले से शामिल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।*

(2) *मतदाता सूची में व्यक्ति का नाम शामिल करने के लिए प्रत्येक आपति निम्नानुसार की जाएगी–*

(□) *प्ररूप 1 ख में ;*

(□) *केवल उस व्यक्ति द्वारा आक्षेप किया जाएगा जिसका नाम पहले ही उस मतदाता सूची में शामिल है ; तथा*

(□) *जिस मतदाता सूची में आक्षेपजनक नाम दिया गया है में पहले से शामिल नाम वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्तक्षरित होगा।*

(3) *मतदाता सूची में किसी इन्द्राज के ब्यौरे या ब्यौरों के लिए प्रत्येक आक्षेप निम्नानुसार किया जायेगा–*

(□) *प्ररूप 1 ग में ;तथा*

(□) *केवल उस व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा जिससे वह प्रविष्टि सम्बन्धित है।*

(4) *प्रत्येक दावा तथा आक्षेप जिला निर्वाचक अधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा तथा उसको प्रस्तुत किया जाएगा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी।*

(5) *जिला निर्वाचक अधिकारी प्ररूप1–ड़ में दावों का रजिस्टर तथा प्ररूप 1–च में आक्षेपों का रजिस्टर रखेगा और जब कभी प्राप्त होने पर प्रत्येक दावा तथा आक्षेप, जैसी भी स्थिति हो, के ब्यौरे उसमें दर्ज करेगा।*

(6) *कोई दावा या आक्षेप जो उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या प्ररूप तथा रीति में दायर नहीं किया जाता है या यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर किया जाता है जो उसे दायर करने का हकदार नहीं है, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।*

(7) *यदि किसी व्यक्ति द्वारा आक्षेप या दावा जिला निर्वाचक अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जो इसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, तो ऐसा जिला निर्वाचक अधिकारी तुरन्त उसे सम्बन्धित जिला निर्वाचक अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए उसी व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए वापिस कर देगा।*

(8) *जहां दावा या आक्षेप का निपटान उपनियम (6) या उपनियम (7) के अधीन नहीं किया जाता है तथा दावों और आक्षेपों को प्रस्तुत करने की विहित अवधि समाप्त हो गई है, तो जिला निर्वाचक अधिकारी प्राप्त हुए सभी दावों और आक्षेपों की सूची तुरन्त अपने कार्यालय में लगाएगा तथा ऐसे दावों और आक्षेपों की सुनवाई की तिथि तथा स्थान का उल्लेख नोटिस में करेगा। आक्षेप की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने ये दिए हैं।*

10. दावों तथा आक्षेपों का निपटान–*(1) नियम 9–क के अधीन नियत तिथि को तथा स्थान पर, जिला निर्वाचक अधिकारी सम्बन्धित व्यक्तियों की सुनवाई करेगा तथा दावों तथा आक्षेपों की प्राप्ति की तिथि से तीन दिन के भीतर सम्बन्धित पक्षकारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं की सुनवाई करने के उपरान्त निर्णय करेगा तथा, यदि कोई व्यक्ति जो ऐसे दावे को स्वीकार करने पर आक्षेप करे तो वह ऐसे साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जाए या जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, पर विचार करने के बाद–*

(□) *किसी दावे या आक्षेप को जो इन नियमों के किसी उपबन्ध की अनुपालना नहीं करता अस्वीकृत करेगा या ऐसे आदेश पारित करेगा जिसे वह उचित समझें।*

(□) *किसी वाद को खारिज कर देगा जिसमें दावेदार या आक्षेपकर्ता उपस्थित नहीं है अथवा प्रस्तुत नहीं करता है ।*

(2) ऐसे किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तिथि से पांच दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को जो पुर्नरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है जो सात दिन के भीतर ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकता है, या रद्द कर सकता है या दावे अथवा आक्षेप के सम्बंध में ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे ।

(3) अपील पर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) का निर्णय और उपनियम (1) के अधीन जिला निर्वाचक अधिकारी का आदेश ऐसे निर्णय अध्यधीन अन्तिम होगा।

10–क. मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन– *(1) जिला निर्वाचक अधिकारी ज्यों ही उसको प्रस्तुत किए गए सभी दावों तथा आक्षेपों का निपटान करता है, तो वह उन पर किए आदेशों सहित ऐसे दावों तथा आक्षेपों की सूची, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजेगा जो नियम 10 के उपनियम (2) के अधीन पुनरीक्षण में जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा या उस द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, पारित आदेशों, के अनुसार मतदाता सूची ठीक करवाएगा। इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अन्तिम होगी तथा उसकी दो प्रतियां जिला निर्वाचक अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित उनके कार्यालयों में रखी जाएगी और कथित आदेशों के अनुसार तैयार परिवर्धन तथा संशोधन की सूची सहित नियम 9 के अधीन विहित रीति में प्रकाशित की जाएगी।*

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रकाशित कोई अन्तिम मतदाता सूची परिवर्धनों तथा संशोधनों सहित अथवा के बिना ऐसे अन्तिम प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

11. प्रमाणित प्रतियां का निरीक्षण और जारी किया जाना

प्रत्येक लोक सदस्य की,दो रूपए की फीस के भुगतान पर नियम 10–क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट मतदाता सूची के निरीक्षण का अधिकार होगा और उसकी प्रमाणित प्रतियां, जिला निर्वाचन

अधिकारी द्वारा आवेदक को, राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नियत फीस के भुगतान पर जारी की जाएगी ।

12. मतदाता सूची की अवधि तथा उनका पुनरीक्षणः— *(1) मतदाता सूची पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक आम चुनाव से पूर्व तथा किसी वार्ड या किसी ग्राम पंचायत के लिए ऐसे वार्ड या ग्राम पंचायत जैसी भी स्थिति हो, में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव से पूर्व जब तक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा द्वारा विहित रीति में अन्यथा निर्देशित न किया जाए तब तक पुनरीक्षित नहीं की जाएंगीः*

परन्तु यदि किसी कारण से मतदाता सूची पुनरीक्षित नहीं की जाती है, तो विद्यमान मतदाता सूची की वैद्यता या उसके लागू रहने पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

परन्तु यह ओर कि इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन वार्ड के लिए मतदाता सूची जो किसी ऐसे निर्देश को जारी करने के समय पर लागू है इस प्रकार निर्देशित विशेष पुनरीक्षण के समापन तक निरन्तर लागू रहेगी।

(2) *प्रत्येक वार्ड के लिए मतदाता सूची उप नियम (1) के अधीन या तो गहन रूप से या संक्षेप रूप से जैसा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा निदेश करें, पुनरीक्षित की जाएगी।*

(3) *जहां मतदाता सूची या उसके किसी भाग का संशोधन गहन रूप से किया जाना हो, तो उसे नये सिरे से तैयार किया जायेगा तथा ऐसे संशोधन पर नियम 8 से 10 क से उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि मतदाता सूची में पहली बार तैयार करने पर लागू होते हैं।*

(4) *जब मतदाता सूची या उसके किसी भाग को संक्षेप रूप से पुनरीक्षित किया जाना हो, तो जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ऐसी सूचना के आधार पर जो सुगमता से उपलब्ध हो, मतदाता की सूची तथा प्रारूप में सशोधन की सूची सम्बन्धित भागों में तैयार करवायेगा तथा मतदाता सूची प्रकाशित करवायेगा तथा नियम 8 से 10 क के उपबन्ध उसी प्रकार ऐसे संश्रोधन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में लागू होगें जैसे कि, वे मतदाता सूची को पहली बार तैयार करने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।*

(5) *जहां किसी समय पर, नियम 9 के साथ पठित उप नियम (3) के अधीन पुनरीक्षित मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाषन अथवा उप नियम (4) के अधीन मतदाता सूची तथा संशोधनों की सूची तथा नियम 10क के अधीन उसके अन्तिम प्रकाशन के बीच, नियम 12ख के अधीन तत्समय लागू मतदाता सूची में कोई नाम शामिल करने का निर्णय लिया जाये, तो जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नाम को पुनरीक्षित मतदाता सूची में भी शामिल करवायेगा, यदि उसके विचार में ऐसे नाम को शामिल करने पर कोई वैध आक्षेप न हो ।*

12—क ***मतदाता सूची में त्रुटियां ठीक करना—*** *यदि जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत उसको दिये गये आवेदन पत्र पर या अपने स्वप्रेरणा पर ऐसी जांच जिसे वह ठीक समझें, के बाद संतुष्ट हो जाता है, कि किसी वार्ड की मतदाता सूची की किसी प्रविष्टः—*

(□) *विशेष रूप से गलत या त्रुटिपूर्ण है;*

(□) *को इस आधार पर कि सम्बन्धित व्यक्ति ने वार्ड के अन्दर ही अपने सामान्य निवास स्थान को बदल लिया है, मतदाता सूची में अन्य स्थान पर उसे बदला जाना चाहिए ; या*

(□) *को इस आधार पर काट देना चाहिए कि सम्बन्धित व्यक्ति कि मृत्यु हो गई है या सामान्यतः वार्ड में निवासी नहीं रहा है या अन्यथा उस मतदाता सूची में रजिस्टर्ड किए जाने का हकदार नही है,*

(□) *वह राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा द्वारा इस निमित्त दिये गये ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों, यदि कोई हों, के अध्यधीन प्रविष्टि को संशोधित कर सकता है, उसका स्थान बदल सकता है या काट सकता है।*

परन्तु खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन किसी आधार पर कोई कार्यवाही करने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

12–ख. अन्तिम रूप में प्रकाशित मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करना– *कोई व्यक्ति, जिसका नियम 10–क के अधीन किसी वार्ड की अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो वह उस मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए इसमें, इसके बीच उपबन्धित रीति में आवेदन कर सकता है ।*

12–ग. मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन करने की रीति– *(1) नियम 12–क या 12–ख के अधीन आवेदन पत्र की प्ररूप 1क, 1ख, 1ग या 1घ जो भी उपयुक्त हो, में से किसी एक में दोहरी प्रतियां दी जायेंगी, और आवेदन पत्र के साथ पांच रूपये की फीस संलग्न की जाएगी:*

परन्तु ऐसा आवेदन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) को संबोधित किया जाएगा। चुनाव कार्यकम की प्रकाशन की तिथि से कम से कम चार दिन के भीतर किसी भी समय उसको प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस होगी, –

(□) *न्यायिकेतर स्टाम्पों के द्वारा अदा की जायेगी ; या*

(□) *सम्बद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) के पक्ष में सरकारी खजाने या प्राधिकृत (सरकारी पावतियों के संग्रहण के लिए प्राधिकृत) बैंक में जमा की जाएगी ; या*

(□) *सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) से या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से उचित रसीद लेकर नकद अदा की जाएगी, जो वापसी योग्य नहीं होगी।*

(3) जहां फीस उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन जमा करवाई जाती है वहां आवेदक आवेदन पत्र के साथ सरकारी खजाने की रसीद संलग्न करेगा तथा जहां फीस की अदायगी उप नियम (2) के खण्ड (ग) के अधीन की जाती है वहां आवेदक आवेदन पत्र के साथ उस द्वारा नकद में जमा की गई या अदा की गई फीस के प्रमाण में नकद में फीस प्राप्त करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) या इस निमित उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की गई उचित रसीद संलग्न करेगा।

(4) जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) ऐसे आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर तत्काल निर्देश करेगा कि उसकी एक प्रति ऐसे चिपकाने की तिथि से चार दिन की अवधि के भीतर ऐसे आवेदनों पर आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए नोटिस सहित सम्बंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के किसी सहजदृश्य स्थानों पर, तथा उसके कार्यालय में किसी स्थान पर लगाई जाये ।

(5) जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद उस द्वारा प्राप्त आक्षेप, यदि कोई हो, पर विचार करेगा और यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि आवेदक मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करवाने का हकदार है, तो वह उस वार्ड में निर्वाचन के लिए नामांकन करने की अन्तिम तिथि से पहले मतदाता सूची में उसका नाम शमिल करने के निर्देश देगा।

परन्तु यदि आवेदक अन्य जिले के किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में पंजीकृत है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) को सूचित करेगा और इसके बाद ऐसी सूचना की प्राप्ति पर आवेदक का नाम उस मतदाता सूची से काट देगा।

"13. मतदाता सूची तथा सम्बन्धित दस्तावेजों की अभिरक्षा तथा परिरक्षण– *(1) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद या इनके किसी भी वार्ड की मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन किए जाने के बाद, निम्नलिखित दस्तावेज उपायुक्त–एवं–जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) के अभिलेख कक्ष में या राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य किसी स्थान पर, उस मतदाता सूची का आगामी गहन पुनरीक्षण पूरा होने के बाद एक वर्ष की समाप्ति तक रखे जाएंगे,*

(□) *मतदाता सूची की एक पूर्ण प्रति तथा पूर्ण मसौदा मतदाता सूची और दोहरी पेस्टिंग फाईलें;*

(□) *प्रारूप मतदाता सूची के सभी दावे तथा आक्षेप,*

(□) *नियम 9क के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत सभी आवेदन पत्र,*

(□) *नियम 10 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) को प्रस्तुत सभी आवेदन,*

(□) *नियम 12 क या ख के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी (पचांयत) को प्रस्तुत सभी आवेदन, तथा*

(□) *जिला निर्वाचक अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के सभी निर्णय तथा निर्देश।*

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची की एक पूर्ण प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के अभिलेख कक्ष या राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे स्थान पर मतदाता सूची के आगामी गहन पुनरीक्षण पूरा होने के बाद एक वर्ष की समाप्ति तक रखी जाएंगी।

13क. मतदाता सूची तथा सम्बन्धित दस्तावेजों का निपटानः— *नियम 13 में निर्दिष्ट दस्तावेजों को उनमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर ऐसी रीति में निपटान किया जाएगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा निर्देश करें।*

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA,
S.C.O. NO. 16-17, SECTOR 20-D,
CHANDIGARH.

NOTIFICATION

NO. SEC/2E-III/2004/ 14088 DATED: 09/12/2004.

In partial modification in notification issued by the Commission vide notification No. SEC/2E-III/2004/10773, dated 6.10.2004.regarding appointment of District Electoral Officer for the preparation of Panchayat voter list in Panchayat election , the City Magistrate, Hisar was appointed as District Electoral Officer (Panchayat) for Block Hisar-I, Hisar-II and Barwala in District Hisar for the preparation of voter lists for the conduct of Panchayat elections.

And whereas the City Magistrate-cum-District Electoral Officer (Panchayat), Hisar, has conveyed vide his letter No. 197/Steno, dated 8.12.2004 that due to departmental examination to be conducted by the Haryana Government w.e.f. 13.12.2004 he is unable to work in the abovesaid blocks. City Magistrate-cum-District Electoral Officer, Hisar has requested that some other officer may be appointed as District Electoral Officer for the abovesaid Blocks.

Now, therefore, in view of the position explained above, the State Election Commissioner, Haryana in exercise of powers conferred by clause (1) of article 243K of the Constitution of India read with Section 212 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 and Rule 2(e) of the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994 and all other powers enabling in this behalf delegates the powers to all the Deputy Commissioners-cum-District Election Officers (Panchayat) in the State to appoint any HCS Officer, District Revenue Officer, S.D.O.(Civil) or any other Officer at District Headquarter vested with Collector's/Magistrate powers to perform the duty as District Electoral Officer for the preparation of voter lists for the conduct of Panchayat elections under intimation to the Commission.

Dated Chandigarh **CHANDER SINGH**
the 9th December, 2004. **State Election Commissioner, Haryana**

परिशिष्ट–तीन का अनुलग्नक

STATE ELECTION COMMISSION HARYANA,
S.C.O. NO. 16-17, SECTOR 20-D,
CHANDIGARH.

NOTIFICATON

NO. SEC/2E-III/2004/10773 Dated: 06.10.2004

In exercise of powers vested under Sub-Section (1) of Section 212 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 and all other powers enabling it in this behalf, the State Election Commission, hereby appoints the Block Development and Panchayat Officers as Deputy District Electoral Officer for their concerned Block to assist the District Electoral Officers for preparation of list of voters of the wards of Sarpanches, Member of Gram Panchayats, Member Panchayat Samitis and Zila Paishads. The District Electoral Officer have already been appointed by the Commission.

The Claim and objections shall however, be disposed of by the concerned District Electoral Officer.

The State Election Commission further directs that if any post is or become vacant, the officer asked by State Government or concerned Deputy Commissioner to look after the work of such post during such vacancy shall be deemed to be the Deputy District Electoral Officer for purposes of the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994 during the said period of vacancy.

The above notification supercedes notification issued by the State Election Commission vide its No. SEC/2E-III/2002/314-471 dated 3/4/2002 and other notification issued in this regard from time to time.

Dated, Chandigarh **Chander Singh,**
The 5th October, 2004 **State Election Commissioner, Haryana**

आधार पत्रक

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित "विधान सभा निर्वाचक नामावली" में सम्मिलित ग्राम और मकान

खण्ड

ग्राम पंचायत में सम्मिलित ग्राम :–

(1) _____(2) _____(3) _____

विधान सभा निर्वाचक का भाग अनुकमांक	*नामावली में सम्मिलित ग्राम का नाम*	*मकान के नम्बर (क0 __से ____ तक)*	*मतदाताओ की कुल संख्या*
1	2	3	4
_____	1._____		_____
_____	2. _____		_____
_____	3. _____		_____
_____	4. _____		_____

वार्डो का ब्यौरा

कमांक	*ग्राम का नाम*	*वार्ड कमांक*	*वार्ड के अन्तर्गत आने वाले मकान और मतदाता मकानों के नम्बर (_____से _____तक)*	*मतदाताओ की कुल संख्या*
1	2	3	4	5

परिशिष्ट –5

मतदाता सूचि

ग्राम पंचायत _____ *खण्ड* _____ *जिला* _____

ग्राम पंचायत के वार्डों की कुल संख्या *प0स0 वार्ड न0 1*

मतदाता सूचि का सार विवरण *जि0प0 वार्ड न0 1*

क0	*ग्राम का नाम*	*गृह संख्या* *क0 ___से _____तक*	*मतदाता* *क0 ___से _____तक*	*कुल मतदाता*
1	2	3	4	5
1.		1 *से* 15 *तक*	1 *से* 125 *तक*	125
2.		16/1 *से 36 तक*	1 *से* 140 *तक*	140
3.		37 *से* 55 *तक*	1 *से* 153 *तक*	153
4.		56 *से* 78 *तक*	1 *से* 137 *तक*	137
5.		79 *से* 98 *बी तक*	1 *से* 174 *तक*	174
6.		96 *से* 108 *तक*	1 *से* 128 *तक*	128
7.		109 *से* 130*तक*	1 *से* 156 *तक*	156
8.		130 *से* 148 *तक*	1 *से* 110 *तक*	110

अनुपुरूक सूचि में सम्मिलित मतदाताओं की संख्या

मूल सूचि में सम्मिलित मतदाताओं की संख्या

दावों तथा आपतियों के निराकरण के पश्चात (संशोधित अनुपूरक सूचि के आधार पर)

मूल सूचि में सम्मिलित मतदाताओं की संख्या में वृद्वि या कमी :–

वृद्धि _____(+) _____

कमी _____(-) _____

सकल वृद्धि या कमी _____(+)_____

(-) _____

पुनरीक्षित सूचि में शामिल कुल मतदाता

मुख्य पृष्ठ

20...... में प्रकाशित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद मतदाता सूची सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र का नाम :–

जिले का नाम :	भाग संख्या : कमांक नं0______से______ तक

1. (क) ग्राम पंचायत का नाम व वार्ड संख्या :
   खण्ड का नाम :
   (ख) पंचायत समिति का नाम व वार्ड संख्या :
   (ग) जिला परिषद् व वार्ड संख्या :

2. पुनरीक्षण का विवरण

पुनरीक्षण का वर्ष : पुनरीक्षण की तिथि : पुनरीक्षण का स्वरूप : प्रकाशन की तिथि :	नामावली पहचान : नये परिसीमित निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तारानुसार सभी अनुपूरकों सहित एंकीकृत व वर्ष ————————————की पुनरीक्षित मूल निर्वाचक नामावली

मतदाताओं की संख्या

आरंभिक कम संख्या	अंतिम कम संख्या	पुरूष	महिला	कुल

कुल पृष्ठों का पृष्ठः 1

वार्ड संख्या ____

(नाम) पंचायती राज संस्था निर्वाचन नामावली, 20..... भाग संख्या ----

1 *1/044
पहचान पत्र का कमांक **SX1030964**

नाम : **लछ्मी देवी**
पति : **सत्यावन**
मकान नः 1
आयु : **24** लिंग : **महिला**

2 *2/044
पहचान पत्र का कमांक **FX1808252**

नाम : **माई राम**
पिता : **माम चन्द**
मकान न : 4
आयु : 60 लिंग **पुरुष**

3 *03/044
पहचान पत्र का कमांक **HR/03/14/0153003**

नाम : **लछ्मी**
पति : **माई राम**
मकान न : 4
आयु : 55 **लिंगः महिला**

4 *04/044
पहचान पत्र का कमांक **HR/03/14/0153003**

नाम : **वीरभान**
पिता : **झासु राम**
मकान न : 4
आयु : 36 लिंग : **पुरुष**

5 *05/044
पहचान पत्र का कमांक **HR/03/14/0153004**

नाम : **देवी**
पति : **वीरभान**
मकान न : 4
आयु : 34 लिंग : **महिला**

6 *06/
पहचान पत्र का कमांक **HR/03/14/0153003**

नाम : **मिहा सिहं**
पिता : **झासु राम**
मकान न : 4
आयु : 34 लिंग : **पुरुष**

7 *7/044
पहचान पत्र का कमांक **HR/03/14/0153008**

नाम : **कर्मवीर**
पिता/पति : **माई राम**
मकान न : 4
आयु : 33 लिंग : **पुरुष**

8 *08/044
पहचान पत्र का कमांक **FSX1808401**

नाम : **शीला**
पति : **मिहा सिहं**
मकान न : 4
आयु : 32 लिंग : **महिला**

9 *09/044
पहचान पत्र का कमांक **FSX1644640**

नाम : **कमलेश**
पति : **कर्मवीर**
मकान न : 4
आयु : 24 लिंग : **महिला**

10 *10/044
पहचान पत्र का कमांक **FSX16445[illegible]**

नाम : **सोनू**
पिता : **वीरभान**
मकान न : 4
आयु : 23 लिंग : **पुरुष**

11 *11/044
पहचान पत्र का कमांक **FSX1644624**

नाम : **धर्मवीर**
पिता : **माई राम**
मकान न : 4
आयु : 23 लिंग : **पुरुष**

12 *12/044
पहचान पत्र का कमांक **FSX1644640**

नाम : **राम पाल**
पिता : **माई राम**
मकान न : 4
आयु : 24 लिंग : **पुरुष**

13 *13/044
पहचान पत्र का कमांक **FSx1807940**

नाम : **अंगूरी**
पिता : **रति राम**
मकान न : 5
आयु : 68 लिंग : **महिला**

14 *14/044
पहचान पत्र का कमांक **HR/03/14/0153011**

नाम : **मांगे राम**
पिता : **रति राम**
मकान न : 5
आयु : 39 लिंग : **पुरुष**

15 *15/044
पहचान पत्र का कमांक
HR/03/14/01153991

नाम : **सुख देवी**
पति : **मांगे राम**
मकान न : 5
आयु : 33 लिंग : **महिला**

16 *16/044
पहचान पत्र का कमांक **FSx1833052**

नाम : **जय कमार**
पिता : **आशा राम**
मकान न : 5
आयु : 65 लिंग : **पुरुष**

17 *17/044
पहचान पत्र का कमांक
HR/03/14/0154135

नाम : **कृष्णपाल**
पिता : **जय कुमार**
मकान न : 5
आयु : 29 लिंग : **पुरुष**

18 *18/044
पहचान पत्र का कमांक
नाम : **कृष्ण पाल**
पति : **जै कुमर**
मकान न : 5
आयु : 25 लिंग : **पुरुष**

19 *19/044 पहचान पत्र का क्रमांक नाम : **सुख चैन** पिता : **जय कुमार** मकान न : **5** आयु : **24** लिंग : **पुरुष**	20 *20/044 पहचान पत्र का क्रमांक **FSX1602085** नाम : **सुमन देवी** पिता : **शुक्राम्पाल** मकान न : **5** आयु : **25** लिंग : **महिला**	21 *21/044 पहचान पत्र का क्रमांक HR/**03/14/0153012** नाम : **साधु राम** पति : **राम चन्द** मकान न : **7** आयु : **51** लिंग : **पुरुष**
22 *22/044 पहचान पत्र का क्रमांक **HR/03/14/0153013** नाम : **शन्ति** पिता : **साधु राम** मकान न : **7** आयु : **45** लिंग : **महिला**	23 *23/044 पहचान पत्र का क्रमांक **HR/03/14/0153014** नाम : **राम जुवाहरी** पिता : **साधुराम** मकान न : **7** आयु : **35** लिंग : **पुरुष**	24 *124/044 पहचान पत्र का क्रमांक HR/**03/14/01153992** नाम : **कृष्ण कुमारी** पति : **राम जुवाहरी** मकान न : **8** आयु : **31** लिंग : **महिला**
25 *25/044 पहचान पत्र का क्रमांक **HR/03/14/0253016** नाम : **अंगूरी** पिता : **मामन सिहं** मकान न : **8** आयु : **71** लिंग : **महिला**	26 *26/044 पहचान पत्र का क्रमांक **HR/03/14/0153018** नाम : **मुरती देवी** पिता : **बलवान सिहं** मकान न : **8** आयु : **45** लिंग : **महिला**	27 *27/044 पहचान पत्र का क्रमांक **FSX1808021** नाम : **रमेश** पति : **मामन सिहं** मकान न : **8** आयु : **43** लिंग : **पुरुष**
28 *25/044 पहचान पत्र का क्रमांक **HR/03/14/0253016** नाम : **अंगूरी** पिता : **मामन सिहं** मकान न : **8** आयु : **71** लिंग : **महिला**	29 *26/044 पहचान पत्र का क्रमांक **HR/03/14/0153018** नाम : **मुरती देवी** पिता : **बलवान सिहं** मकान न : **8** आयु : **45** लिंग : **महिला**	30 *27/044 पहचान पत्र का क्रमांक **FSX1808021** नाम : **रमेश** पति : **मामन सिहं** मकान न : **8** आयु : **43** लिंग : **पुरुष**

*** – 20..... को अंतिम प्रकाशित विधान सभा मतदाता सूची का क्र0/भाग नं0**

आयु 01/01/20..... के अनुसार संकेतः– # संशोधित

ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों के प्रारभिंक प्रकाशन की सूचना नियम 9 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विदित प्ररूप

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी _____

स्थान _____तारीख _____

सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि:–

हरियाणा पचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के उपबन्धों के अन्तर्गत खण्ड _____के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार हो गई है और तारीख _____से तारीख _____ तक निम्नलिखित स्थानों पर आम लोगों के निःशुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।

1. *कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी स्थान*
   (खण्ड के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की सूचियां)
2. *कार्यालय तहसील ————————————स्थान*
   (तहसील के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की सूचियां)
3. *कार्यालय, ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्————————— खण्ड ————————*
   (सम्बन्धित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्, जैसे भी स्थिति हो, की मतदाता सूचि)
4. *कार्यालय पंचायत समिति*
5. *कार्यालय जिला परिषद्*
6. *कार्यालय खण्ड निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)एवं ————————————*

2. *प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि 1 जनवरी ———के आधार पर तैयार की गई है।*
3. *कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त अर्हकारी तारीख के सन्दर्भ में, मतदाता सूचि में किसी नाम को सम्मिलित किये जाने या किसी प्रविष्ट को संशोधित करने के लिये दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में अपना दावा या आपति करना चाहे वह इस सम्बन्ध में अपना दावा या आपति लिखित में तारीख ————————————से कार्यालय समय के दौरान प्रातः 10.00 बजे से सांय 5–00 बजे तक कभी भी (परन्तु तारीख ————————————को, जो कि दावे और आपतियां प्रस्तुत करने की आखरी तारीख है, अपरान्ह 3.00 बजे तक उपरोक्त स्थानों पर तैनात प्राधिकृत कर्मचारी को या सीधे मुझे प्रस्तुत कर सकता है) विहित समय के पश्चात किये जाने वाले दावों व आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।*

हस्ताक्षर
जिला निर्वाचक अधिकारी

परिशिष्ट–7

प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप

कार्यालय जिला निर्वाचक अधिकारी _____

कमांकः– *स्थान :–*

दिनांक :–

आदेश

विषय :–पंचायतों की मतदाता सूचि तैयार करने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये प्राधिकृत कर्मचारी के रूप में नियुक्ति।

निम्नांकित कर्मचारी को खण्ड ––––––––––के अन्तर्गत आने वाली ग्रम पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार करने के कार्य में जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये नामनिर्दिष्ट और प्राधिकृत किया जाता है ।

1. *प्राधिकृत कर्मचारी उक्त मतदाता सूचि का आम लोगों को निरीक्षण कराने, दावे तथा आपतियां प्रस्तुत करने के लिये कागज उपलब्ध कराने तथा उसे लिखने में मार्गदर्शन देने और प्रस्तुत दावों तथा आपतियों को प्राप्त कर उन्हें आवश्यक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) के साथ सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करने का कार्य करेगें :–*

कमांक	*प्राधिकृत नाम*	*कर्मचारी का विवरण पदनाम एवं कार्यालय*	*क्षेत्र का विवरण*	*कार्यालय/स्थान जहां बैठकर सौपां गया कार्य करेगें*	*अधिकारी का नाम तथा पदनाम जिसके साथ सम्बन्ध रहेंगें।*
1	2	3	4	5	6

जिला निर्वाचक अधिकारी

(*मोहर*)

प्रतिलिपि :–

(1) *जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश* _____

(2) *उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)* _____

(3) *खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी* _____

(4) *सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा* _____(*सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख*) _____*को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित है। वे कृपया दिनांक* _____ *को प्रातः/अपराह्न*_____*बजे स्थान*_____*पर उपस्थित हो, जहां उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी तथा आवश्यक निर्देश पुस्तिकाएं एवं फार्म आदि उपलब्ध करवाये जायेगें । उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि ———————*

(i) *मतदाता की सूचि का निरीक्षण कराने और दावे तथा आपतियां प्राप्त करने के लिये जिस स्थान/कार्यालय में उनकी डियूटी लगाई गई है, वहां उन्हें प्रत्येक कार्यकारी दिन प्रातः 10.00 बजे से लेकर अपराह्न 5.00 बजे तक निरन्तर उपस्थित रहना है। इसमें कोताही एवं गंभीर कदाचारण माना जायेगा। जिसके लिये उनके विरूद्व कडी अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।*

(ii) *प्रकाशित सूचि, फार्मज और अन्य कागज पत्रों को वे संभालकर रखेगें और उसकी सुरक्षा और देखभाल के लिये वे स्वयं पूर्णतय जिम्मेवार होगें ।*

(iii) *वे अपेक्षित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करे और वांछित सभी जानकारियां समय पर सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करें।*

(iv) _____ (*सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख*) *को सूचनार्थ अग्रेषित है। वे कृपया उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक* _____*से दिनांक* _____*तक उसकी सामान्य डॅयूटी से मुक्त रखे। इस अवधि के पूर्व भी उसे प्रशिक्षण आदि के लिये जब भी बुलाया जाये, उसे उपस्थित होने के लिये ताकीद करें।*

जिला निर्वाचक अधिकारी

जिला निर्वाचक अधिकारी की सहायता के लिये अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी _____

कमांक _____ *स्थान* _____

दिनांक _____

विषय :– *पंचायतों की मतदाता सूचि तैयार करने के लिये जिला निर्वाचक अधिकारी की सहायता हेतू अधिकारियों की नियुक्ति ।*

निम्नांकित राजस्व अथवा विकासस्व अधिकारियों को, खण्ड _____ *के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार करने के लिये नियुक्त किया जाता है :–*

कमांक	*अधिकारी का नाम तथा (राजस्व विकासस्व विभाग में धारित) पद नाम*	*अधिकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतें*	*ग्राम पंचायत का नाम*
1	2	3	4

(खण्ड के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतें/संलग्न सूचि में उल्लिखित ग्राम पंचायतें)

उपर्युक्त अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी श्री _____ *पदनाम* _____ *के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेंगें।*

हस्ताक्षर,
जिला निर्वाचक अधिकारी

प्रतिलिपि :–

(1) *सम्बन्धित (राजस्व विभाग में धारित पदनाम) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित है, उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवश्यक फामर्स/सामग्री और निर्देश पुस्तिका* अलग से *उपलब्ध कराई जायेगी।*

(2) *जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी एवं उप–जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को सूचनार्थ अग्रेषित है, वे कृपया जिला निर्वाचन अधिकारी को इस कार्य में (स्टाफ संसाधनों आदि के सम्बन्ध में) पूरा सहयोग दें ।*

(3) *जिला राजस्व अधिकारी _____को सूचनार्थ अग्रेषित है, वे कृपया इस कार्य के सम्पादन में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाईयों का तत्परता से निराकरण कराएं ।*

(4) *नगराधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी _____को सूचनार्थ अग्रेषित है ।*

(5) *उपमण्डल अधिकारी (ना0) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी _____को सूचनार्थ अग्रेषित है ।*

हस्ताक्षर
जिला निर्वाचक अधिकारी

प्ररूप–1क

[देखिए नियम 9–क (1) (क), तथा 12–ग (1)]

रजिस्टर में दर्ज कम संख्या.....

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन

सेवा में

जिला निर्वाचक अधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0).....
ग्राम पंचायत.....,.वार्ड संख्या.....
खण्ड.....,पंचायत समिति.....वार्ड संख्या .....
जिला परिषद.....,वार्ड संख्या .....

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सें0मी0 X3.05 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के लिए मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए । मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:–

I. *आवेदक का ब्यौरा*	*नाम*		*उपनाम (यदि कोई है)*
प्रथम जनवरी.....को आयु	*वर्ष:*	*मास:*	*लिंग (पुरूष/स्त्री):*
जन्म तिथि, यदि ज्ञात है:	*दिन:*	*मास*	*वर्ष*
जन्म का स्थान:	*ग्राम/नगर*		
	जिला		*राज्य*
**पिता/माता/पति का नाम*	*नाम*		*उपनाम (यदि कोई है)*

II. *सामान्य निवास स्थान के विवरण (पूरा पता)*

मकान/गृह संख्या:								
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/ मोहल्ला/सड़क:								
नगर/ग्राम:								
डाकघर:	*पिन कोड*							
तहसील/तालुका/मंडल/थाना:								
जिला:								

III. *ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की वर्तमान मतदाता सूची में पहले से ही सम्मिलित किए गए आवेदक के परिवार के सदस्य(यों) के ब्यौरे:*

नाम	*आवेदक के साथ सम्बन्ध*	*वार्ड की मतदाता सूची की भाग संख्या*	*उस भाग में क्रम संख्या*	*निर्वाचक की फोटो पहचान–पत्र संख्या*
1.				
2.				

iv *घोषणा*

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :–

(i) *मैं भारत का नागरिक हूँ ;*

(ii) *मैं..... (तिथि, मास, वर्ष) से उपर्युक्त पैरा–II में दिए गए पते पर मामूली तौर से*

	निवासी हूँ ;
(iii)	मैंने किसी अन्य ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है ;
(iv)	*इस या किसी अन्य ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के लिए मतदाता सूची में मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है ; **या** *मेरा नाम राज्य .... में ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की वार्ड संख्या....................की, जिसमें मैं नीचे वर्णित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था, मतदाता सूची में सम्मिलित कर लिया गया होगा और यदि ऐसा है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे उस मतदाता सूची से हटा दिया जाए ।

पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान)	निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है)
———————————————————— ————————————————————	संख्या———————————————————— जारी करने की तारीख———————————————

स्थानः

तारीखः

दावाकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पण– *कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 171 के अधीन दंडनीय होगा।*

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती /कुमारी.. को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु प्ररूप । क में दिये गये आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है/ नामंजूर कर दिया गया है। हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 10 के अधीन या उसके अनुसरण में स्वीकार करने या नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारणः

स्थानः

तारीखः जिला निर्वाचक अधिकारी के हस्ताक्षर जिला निर्वाचक अधिकारी की मुहर

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्रीय स्तर अधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी,य थामिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

रजिस्टर में दर्ज क्रम संख्या.................................

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख तथा समय ....

(कार्यालय प्रयोग के लिये प्राप्ति)

दावे/आपत्ति की सुनवाई के लिए नियत तारीख तथा समय के बारे में सूचना प्राप्त हुई।

तारीख ....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदन की रसीद तथा सुनवाई की तारीख के बारे में सूचना

(आवेदक के लिये)

श्री/श्रीमति/कुमारी.....जो ग्राम..... का/की निवासी है, से प्ररूप–1क में आवेदन प्राप्त हुआ।

आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा स्थान ..... में स्थित अपने कार्यालय में तारीख .....को समय .....बजे की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।

तारीख .....

जिला निर्वाचक अधिकारी की ओर से आवेदन
प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
पता.....
.....

प्ररूप–1ख

[*देखिए नियम 9–क (2) (क), तथा 12–ग (1)*]

मतदाता सूची में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हटाये जाने हेतु आवेदन

सेवा में

जिला निर्वाचक अधिकारी/

जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0).....

ग्राम पंचायत.....,.वार्ड संख्या.....

खण्ड.....,पंचायत समिति.....वार्ड संख्या.....

जिला परिषद.....,वार्ड संख्या .....

महोदय,

मैं उपर्युक्त ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के लिए मतदाता सूची में नीचे वर्णित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ । मेरे आक्षेप के समर्थन में विवरण नीचे दिये जा रहे हैं:

या

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझसे/नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि को नीचे उल्लिखित कारणों से हटाया जाना अपेक्षित है:

I. *उस व्यक्ति का ब्यौरे जिसका नाम सम्मिलित किये जाने पर आक्षेप किया गया है*	*नाम*		*उपनाम (यदि कोई है)*
उस व्यक्ति के ब्यौरे जिसकी प्रविष्टि हटायी जानी है	*मतदाता सूची की भाग संख्या जिसमें उसका नाम सम्मिलित किया गया है :*	*उस भाग में उसका/उसकी क्रम संख्या :*	*निर्वाचक की फोटो पहचान–पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) :*
II.*आक्षेपकर्त्ता का ब्यौरे*	*नाम*		*उपनाम (यदि कोई है)*
लिंग (पुरूष/स्त्री /अन्य)	*मतदाता सूची की भाग संख्या जिसमें आक्षेपकर्त्ता का नाम सम्मिलित किया गया है*		*उस भाग में उसकी क्रम संख्या :*
**पिता/माता/पति का नाम*	*नाम*		*उपनाम (यदि कोई है)*

III. *आक्षेपकर्त्ता/नाम हटाए जाने का अनुरोध करने वाले व्यक्ति के मामूली तौर पर निवास स्थान का विवरण (पूरा पता)*								
मकान/गृह संख्या:								
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क:								
नगर/ग्राम:								
डाकघर:	*पिन कोड*							
तहसील/तालुका/मंडल/थाना:								

जिला
**आक्षेप/हटाए जाने के लिए कारण (कारणों)*
IV. घोषणाः *मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।* *स्थानः* *दिनांकः आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान*

टिप्पणः— *कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 171 के अधीन दंडनीय होगा।*

**अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।*

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... का प्ररूप 1ख में मतदाता सूची में श्री/श्रीमती/कुमारी.. के नाम को सम्मिलित किए जाने पर/हटाए जाने हेतु आक्षेप करने के लिए दिया गया आवेदन स्वीकार कर लिया गया है /नामंजूर कर दिया गया है । हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 10 के अधीन या उसके अनुसरण में स्वीकार करने या नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारणः

स्थानः
तारीखः *जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर* *जिला निर्वाचक अधिकारी की मुहर*

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान ।
** अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।*

क्षेत्रीय स्तर अधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

रजिस्टर में दर्ज कम संख्या.....................................
सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख तथा समय ....
(कार्यालय प्रयोग के लिये प्राप्ति)

दावे/आपत्ति पर सुनवाई के लिए नियत तारीख तथा समय के बारे में सूचना प्राप्त हुई।

तारीख ....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदन की रसीद तथा सुनवाई की तारीख के बारे में सूचना

(आवेदक के लिये)

श्री/श्रीमति/कुमारी .....जो ग्राम .....का/की निवासी है, से प्ररूप –1ख में आवेदन प्राप्त हुआ।

आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा स्थान ..... में स्थित अपने कार्यालय में तारीख ..... को समय .....बजे की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों /जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।

तारीख .....

जिला निर्वाचक अधिकारी की ओर से आवेदन
प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
पता.....
.....

प्ररूप 1ग

[*देखिए नियम 9–क (3) (क), तथा 12–ग (1)*]

मतदाता सूची में प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन

सेवा में

जिला निर्वाचक अधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0).....
ग्राम पंचायत.....,.वार्ड संख्या.....
खण्ड.....,पंचायत समिति.....वार्ड संख्या.....
जिला परिषद.....,वार्ड संख्या .....

महोदय,

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सें0मी0X3.05 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

मैं निवेदन करता हूँ कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति /जिला परिषद की मतदाता सूची में शामिल को मतदाता सूची में प्रकट मुझसे उपर्युक्त निर्वाचन–क्षेत्र संबंधित प्रविष्टि शुद्ध नहीं है और इसे शुद्ध कर दिया जाए । मेरे निवेदन के समर्थन में शुद्ध विवरण नीचे दिये गए हैं:–

I. *आवेदक के ब्यौरे*	*नाम*			*उपनाम (यदि कोई है)*
मतदाता सूची की भाग संख्या:			*उस भाग में क्रम संख्या:*	
प्रथम जनवरी.....को आयु	*वर्ष*		*मास*	*लिंग पुरूष/स्त्री*
जन्म तिथि, यदि ज्ञात है:	*दिन*		*मास*	*वर्ष*
जन्म का स्थान:	*ग्राम/नगर:*			
	जिला:			*राज्य:*
**पिता/माता/पति का नाम*	*नाम*			*उपनाम (यदि कोई है)*

II. *मामूली तौर से निवास स्थान का विवरण* (पूरा पता)

मकान/गृह संख्या:							
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क:							
नगर/ग्राम:							
डाकघर:	*पिन कोड*						
तहसील/तालुका/मंडल/थाना:							
जिला							

III. *निर्वाचक के फोटो पहचान–पत्र का विवरण : (यदि इसमें या अन्य किसी ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद में जारी किया गया है)*

निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या:
ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम

IV. *शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टियों का विवरण*

*इस प्रारूप में ऊपर उपलब्ध कराई गई जानकारी के निबन्धनों के अनुसार *मेरा नाम *आयु/*मेरे पिता/माता/पति का नाम/लिंग/*पता शुद्ध कर दिया जाए ।*

स्थानः
तारीखः *निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान*

टिप्पणः– *कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 171 के अधीन दंडनीय होगा।*

**अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।*

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

*श्री/श्रीमती /कुमारी..... को मतदाता सूची में प्रविष्टि शुद्ध करने हेतु प्ररूप –1ग में आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है/ नामंजूर कर दिया गया है। हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 10 के अधीन या के अनुसरण में स्वीकार करने या *नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारणः*

स्थानः
तारीखः *जिला निर्वाचक अधिकारी के हस्ताक्षर* *जिला निर्वाचक अधिकारी की मोहर*

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान।
**अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।*

क्षेत्रीय स्तर अधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

रजिस्टर में दर्ज कम संख्या.....
सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख तथा समय .....
(कार्यालय प्रयोग के लिये प्राप्ति)

दावे/आप्पत्ति की सुनवाई के लिए नियत तारीख तथा समय के बारे में सूचना प्राप्त हुई।

तारीख .....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदन की रसीद तथा सुनवाई की तारीख के बारे में सूचना

(आवेदक के लिये)

श्री/श्रीमति/कुमारी .....जो ग्राम .....का/की निवासी है, से प्ररूप –1ग में आवेदन प्राप्त हुआ।

आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा स्थान ..... में स्थित अपने कार्यालय में तारीख ..... को समय ..... बजे की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों /जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं ।

तारीख .....

जिला निर्वाचक अधिकारी की ओर से आवेदन
प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
पता.....
.....

प्ररूप–1घ

[देखिए नियम 12–ग (1)]

मतदाता सूची में प्रविष्टि को स्थानान्तर के लिए आवेदन

सेवा में

जिला निर्वाचक अधिकारी/

जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0).....

ग्राम पंचायत.....,वार्ड संख्या.....

खण्ड.....,पंचायत समिति.....वार्ड संख्या.....

जिला परिषद.....,वार्ड संख्या .....

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सें0मी0 X3. 05 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि ग्राम पचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद.....वार्ड संख्या.....की मतदाता सूची में मुझसे/नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि, इस ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की मतदाता सूची के सुसंगत भाग में स्थानान्तर कर दी जानी चाहिए। स्थानान्तर की जाने वाली प्रविष्टि का विवरण नीचे दिया गया है:–

I. उस व्यक्ति के ब्योरे जिसकी प्रविष्टि को स्थानान्तर की जानी है	*नाम*		*उपनाम (यदि कोई हो)*
	मतदाता सूची के उस भाग की संख्या जिसमें उसका नाम सम्मिलित किया गया है :	*उस भाग में उसका/उसकी क्रम संख्या :*	*निर्वाचक की फोटो पहचान–पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) :*
**पिता/माता/पति का नाम*	*नाम*		*उपनाम (यदि कोई है)*

II. वर्तमान साधारण निवास स्थान का विवरण (पूरा पता):							
मकान/गृह संख्या:							
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/ मोहल्ला/सड़क:							
नगर/ग्राम:							
डाकघर:	*पिन*						
तहसील/तालुका/मंडल/थाना:							
जिला:							

III. आवेदन की तारीख को उपर्युक्त पते पर लगातार निवास करने की अवधि	*वर्ष*	*मास*
IV. ***भाग संख्या, जिसमें प्रविष्टि स्थानांतरित की जानी है (यदि ज्ञात हो)***		

V. आवेदक के ब्यौरे	*नाम*	*उपनाम (यदि कोई हो)*

	मतदाता सूची की भाग संख्या जिसमें उसका नाम सम्मिलित किया गया है :	*उस भाग में उसका/उसकी क्रम संख्या :*	*निर्वाचक की फोटो पहचान–पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) :*

टिप्पणः– *कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 171 के अधीन दंडनीय होगा।*

VI. घोषणाः

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थानः

दिनांकः *आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान*

की गई कार्रवाई के ब्यौरे

(जिला निर्वाचक अधिकारी/उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... से स्वयं श्री/श्रीमती/कुमारी..... .....से संबंधित प्रविष्टि की मतदाता सूची में स्थानांतरण के लिए प्ररूप–1घ में प्राप्त आवेदन को स्वीकार/नामंजूर कर दिया गया है । हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 12 के अधीन या उसके अनुसरण में स्वीकार करने या नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारणः

स्थानः *जिला निर्वाचक अधिकारी के हस्ताक्षर* *जिला निर्वाचक अधिकारी की मोहर*

तारीखः

**अनुपयुक्त विकल्प को काट दें*

क्षेत्रीय स्तर अधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

रजिस्टर में दर्ज कम संख्या.....

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख व समय .....

(कार्यालय प्रयोग के लिये प्राप्ति)

दावे/आपत्ति की सुनवाई के लिए तारीख तथा समय के बारे में सूचना प्राप्त हुई।

तारीख .....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदन की रसीद तथा सुनवाई की तारीख के बारे में सूचना

(आवेदक के लिये)

श्री/श्रीमति/कुमारी .....जो ग्राम .....का/की निवासी है, से प्ररूप –1घ में आवेदन प्राप्त हुआ।

आवेदन में सुनवाई जिला निर्वाचे अधिकारी द्वारा स्थान .....में स्थित अपने कार्यालय में तारीख ..... को समय ..... बजे की जायेगी। वे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों /जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये जाते हैं ।

तारीख .....

जिला निर्वाचक अधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

पता.....

.....

परिशिष्ट–13

ग्राम पंचायत _____ *खण्ड* _____

दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण

तारीख _____

भाग–1 दावे

(*नाम जोडने के लिये*)

क्रमांक	*दावेदार का नाम तथा पिता/पति का नाम*	*वार्ड और ग्राम का विवरण जिसमें नाम जोडे जाने का दावा किया गया है ।* *वार्ड क्रमांक*	*ग्राम*	*जांच/सुनवाई के लिये निर्धारित पेशी तारीख*
1	2	3	4	5

भाग–2 आपत्ति

(*नाम हटाने के लिये*)

क्रमांक	*आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम*	*प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है*				*जांच/सुनवाई के लिये निर्धारित पेशी तारीख*
1		*मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम*	*वार्ड क्रमांक*	*ग्राम*	*प्रविष्टि क्रमांक*	
	2	3	4	5	6	7

ग–3 आपत्ति

(प्रविष्टियों में संशोधन व स्थानान्तरण के लिये)

क्रमांक	*आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम*	*प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है ।*			*जांच/सुनवाई के लिये निर्धारित पेशी तारीख*
		वार्ड क्रमांक	*ग्राम*	*प्रविष्टि क्रमांक*	
1	2	3	4	5	6

कार्य स्थानः
तारीखः

हस्ताक्षर
प्राधिकृत कर्मचारी/अधिकारी

प्ररूप–1ड.

[देखिए नियम 9क (5)]

पंजीकरण करने हेतु दावों का रजिस्टर

*ग्राम पंचायत*_____,*वार्ड संख्या*_____*खण्ड* _____,

*पंचायत समिति*_____*वार्ड संख्या*_____

*जिला परिषद*_____, *वार्ड संख्या*_____

निर्णय _____

क्रम सं0	*वार्ड तथा संस्था का नाम जिसमें पंजीकरण करने का दावा किया गया है*	*दावेदार का नाम तथा पिता का नाम तथा व्यवसाय*	*ऐसे प्राधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की तिथि जिसे ऐसे प्राधिकारी के हस्ताक्षर सहित दावा प्रस्तुत किया गया है*	*पार्टी के उपस्थित होने के सम्बन्ध में टिप्पण सहित निर्णय की तिथि*	*स्वीकृत/अस्वीकृत*	*जिला निर्वाचक अधिकारी के हस्ताक्षर*	*उस कर्मचारी के हस्ताक्षर जिसने जिला निर्वाचक अधिकारी के निर्णय को कार्यन्वित किया था ।*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

प्ररूप–1च

[*देखिए नियम 9क (5)*]

पंजीकरण के लिए आपत्ति रजिस्टर

*ग्राम पंचायत*_____,*वार्ड संख्या*_____*खण्ड*_____,

*पंचायत समिति*_____*वार्ड संख्या*_____

*जिला परिषद*_____,*वार्ड संख्या*_____

निर्णय _____

1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*
क्रम सं0	*वार्ड*	*आपत्ति करने वाले व्यक्ति का पंजीकरण*			*ऐसे प्राधिकारी को आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि जिसे ऐसे प्राधिकारी के प्रथमाक्षर सहित आपत्ति प्रस्तुत की जाती है।*	*ऐसे आदेशिका सेवक का नाम जिसके द्वारा उस व्यक्ति को दूसरी प्रति देने के लिए भेजी गई है तथा तिथि जिस पर आपत्ति की गई है।*	*आदेशिका सेवक की रिपोर्ट का सारांश तथा तिथि*	*पार्टी की उपस्थिति के सम्बन्ध में टिप्पणी सहित निर्णय की तिथि*	*स्वीकृत*	*अस्वीकृत*	*जिला निर्वाचक अधिकारी के हस्ताक्षर तथा तिथि*	*उस कर्मचारी के हस्ताक्षर जिसके द्वारा निर्णय को कार्यन्वित किया गया था।*
		नाम	*मतदाता सूची में संख्या सहित*	*मतदता सूची में आपत्तिकर्ता का नाम, विवरण तथा संख्या*								

परिशिष्ट–16

निरीक्षण लॉग बुक/रजिस्टर

क्र. सं.	*दिनांक*	*निरीक्षक अधिकारी का नाम एवं पद संज्ञा*	*आने का समय*	*जाने का समय*	*हस्ताक्षर*	*विशेष टिप्पणी, अगर कोई हो*

परिशिष्ट–17

कार्यालय जिला निर्वाचक अधिकारी ——————————

प्रकरण कमांक ————————————

स्थान ——————————
तारीख —————————

प्रति,

(आक्षेपित व्यक्ति का नाम और पता)

____
____

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि खण्ड ————————————की ग्राम पंचायत ————————————की मतदाता सूचि में वार्ड कमांक ————————(ग्राम ————————————) के अन्तर्गत सरल कमांक ————————————पर आपका नाम शामिल किये जाने पर /आपसे सम्बन्धित प्रविष्टि के ब्यौरे पर निम्नांकित मतदाता ने आपति की है :–

आपतिकर्ता का नाम और पता

____
____
____

आपति के आधार, संक्षेप में इस प्रकार है :–

____
____
____

2. उपरोक्त आपति पर मेरे द्वारा तारीख ————————————————को समय 10.30 बजे प्रातः मेरे कार्यालय में, जो कि स्थान ——————————————————में स्थित है, सुनवाई की जायेगी।

एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के साथ जो आप प्रस्तुत करना चाहे उक्त सुनवाई के समय उपस्थित हो। अन्यथा मामले में एक पक्षीय कार्यवाही करके उसका निराकरण कर दिया जायेगा ।

हस्ताक्षर :
नाम :
जिला निर्वाचक अधिकारी

मोहर

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने सूचना की तामील (आक्षेपित व्यक्ति का नाम) _____पर वैयक्तिक रूप से या उसके निवास स्थान पर सूचना चस्पा करके आज तारीख _____को कर दी है ।

हस्ताक्षर :

पूरा नाम :

(तामील करने वाला कर्मचारी)

नोटः– यदि सूचना की तामील डाक द्वारा की जाये तो रसीद इसके साथ संलग्न कर दी जाये ।

सूचना की तामील रसीद

प्रकरण कमांक :

सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हुई

तारीख :

हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान

पूरा नाम व पता

(आक्षेपित व्यक्ति)

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला ————————

मतदाता सूचि के अतिंम प्रकाशन की सूचना

जनसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि जिला ————————————के खण्ड ————————————के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार 1 जनवरी 20———के सन्दर्भ में संशोधनों सहित तैयार कर प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय तथा सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है ।

तारीख :

स्थान :

हस्ताक्षर
जिला निर्वाचन अधिकारी
पता :